

[Shri Suresh Kalmadi]

Sir, most of the IAF pilots are very surprised at the action of the Government. Mirage-2000 is a plane capable of intercepting and destroying any known aircraft existing today, whether in service or in proto-type stage, whether flying at a high altitude three times the speed of sound or over tree-tops. Just 40 of these aircraft will not meet the requirements of the IAF. The expenses involved to get the infrastructure for servicing and various tooling would be high for only 40 aircraft.

Sir, the Russians have succeeded in easing the Mirage out and are trying to sell Mig-29s. Though it is a good aircraft, it cannot be compared to the Mirage. It does not have the Electro Counter Measure (ECM) for evasive action against enemy missiles. It is a most important thing that the ECM is with the Mirage whereas the Mig-29 does not have the ECM for evasive action against the enemy missiles. The ECM is the main feature of the Mirage which makes the Mirage number one aircraft in the world today. And yesterday we just concluded an agreement for the MATRA missiles to be fitted on the Mirages. With the accident rate in the IAF which is high, how long will 40 Mirages last? What will we do with the Matra missile then? Who will deliver them—the postmen? We should have gone in for indigenous manufacture of 110 Mirages. Are we going to put all our eggs in one basket? Are we going to do all our shopping with Russia or are we going to have three or four sources for our military equipment is the question. Before we go in for Mig-29s, let a study team enquire as to why there are so many accidents in the IAF on the Mig-23s. And what does the Government propose to do for the ECM in the Mig-29s.

Lastly, the Soviet Mig is casting its shadow over the French Mirage, and the Soviet lobby is working over-time in India and they are very keen that Shri Rajiv Gandhi be made the Defence Minister. It is going to happen

soon, and especially it suits the Congress-I, as Shri Rajiv Gandhi as the Defence Minister shall have a Defence plane at the time of the elections. And as far as the Mirage is concerned, I think, it shall always remain a mirage.

THE ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL, 1984—Contd.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI ARIF MOHD. KHAN): Mr. Deputy Chairman, Sir, section 29 of the Electricity (Supply) Act, 1948, as it stands at present, provides that 'every scheme estimated to involve a capital expenditure exceeding one crore of rupees shall, as soon as may be after preparation, be submitted to the Authority for its clearance'. The Authority, on receipt of such schemes, examines from the techno-economic angles before it accords its concurrence.

In the existing procedure, schemes costing upto rupees one crore are not referred to the CEA, these are directly included by the concerned States/ Undertakings in their plan proposals submitted to the Planning Commission. Planning Commission considers all such schemes for investment approval keeping resource position in view.

The schemes involving capital expenditure of more than rupees one crore are statutorily required to be submitted to the Central Electricity Authority for its concurrence. The CEA before giving their concurrence, are required to carry out detailed techno-economic appraisal of the schemes and ensure that these are consistent with the overall objectives of power development and represent the optimal options for meeting the requirements of powers in the time-frame envisaged in the project reports.

Sir, the technical examination of power projects is a complex exercise and involves various disciplines like hydrology, civil design, electrical designs, geology, etc. In the case of thermal projects, the CEA examines and has also to consult the Department of Coal for coal linkages, and the Ministry of Railways for transportation of fuel, wherever it is applicable. The multi-purpose river water projects are first appraised by the Central Water Commission, whereafter the CEA examines and clears the proposals, in so far as these relate to power generation.

The recent addition to the process of approval of the projects is appraisal from environmental angle by the Department of Environment. The CEA. . .

[The Vice-Chairman (Shri J. P. Goyal) in the Chair]

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, on behalf of all the Members I would like to welcome Shri J. P. Goyal, who is sitting for the first time as Vice-Chairman, and wish him a very successful tenure in the panel of Vice-Chairmen.

SHRI ARIF MOHD KHAN: Sir, I also join the hon. Member in welcoming you.

The CEA endeavours to appraise the projects expeditiously. However, the actual time taken depends on a variety of factors some of which are beyond their control, such as, adequacy of investigation carried out, sufficiency of appropriate data and engineering details furnished in the project reports. Often it is found that the project reports submitted by the project authorities either lack the required details or there are deficiencies involving data/investigations etc. necessitating back references to the project authorities for obtaining complete information.

Sir, since the financial limit of Rs. 1 crore in section 29(1) of the Act was laid down, there has been considerable escalation in the costs of inputs to power projects with the result that even comparatively small schemes are now not free from the requirements of detailed scrutiny provided in the Act. It had been represented by various State Governments and the State Electricity Boards that this limit should be enhanced. In view of the cost escalation, it has become necessary to suitably enhance this limit so that the State Governments can implement relatively small schemes without obligation of having to go through the detailed procedure of obtaining prior concurrence of CEA, which was originally meant of larger projects.

After the proposed amendment has been enacted, small schemes costing up to rupees five crores would not require prior concurrence of the Central Electricity Authority and it would not be necessary to go through the detailed scrutiny. It would be possible for the State Governments and the State Electricity Boards to clear these schemes on their own. However, it would still be necessary for these schemes to be included in the Plan before these can be implemented and, therefore, Planning Commission's concurrence from the investment angle would be required keeping the resource position in view. Thank you.

The question was proposed.

SHRI K. MOHANAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, before I come to the Bill, I would like to point out the unfair and unhealthy practice of piecemeal legislation. If I am correct, last year also we have made an amendment to this particular Act of 1948, regarding formation of a reserve fund, or something like that, to the tune of 3 per cent. Now, another amendment Bill is before us just within one year. My point is, as far as possible, the legislation must be comprehensive.

[Shri K. Mohanan]

This Act was originally passed in 1948 and now 36 years have elapsed. If the Government considered some amendments necessary to that principal Act, it should come forward with comprehensive legislation after a careful study. I do hope that the Minister will take my suggestion into consideration.

The hon. Minister has already explained that the objective of this amendment Bill is to amend section 29(1) of the principal Act of 1948, enabling the State Electricity Boards and other power-generating authorities to execute power generation schemes with a capital expenditure not exceeding Rs. 5 crores, without the sanction of the Central Electricity Authority. Sir, in the principal Act, this limit was Rs. 1 crore. He has also explained that this amendment is in the background of price escalation over the last 36 years. As I said, the original Act was passed in 1948. If we compare the price position and the value of money as in 1948, with that obtaining now, the present limit of Rs. 5 crores is not commensurate with the rate of price escalation; in fact, the price escalation has been one hundred times. Therefore, I do not think this amending Bill is going to serve any meaningful purpose. Not only that, it will not be possible to execute a power generating scheme with an investment of Rs. 5 crores only at the present juncture. And then, installation of smaller units is not feasible in the present position. Therefore, this Bill will not serve the purpose of generating more electricity to meet the needs of the country.

So far as the State Electricity Boards are concerned, this amending Bill does not serve the object. After the nationalisation of power generation units after Independence, all the State Electricity Boards in the country are incurring losses and the total loss comes to nearly Rs. 4000 crores till last year. I am not going into the details of these things. But what I am trying to point out is that the power generation projects need heavy

investment. None of the States or the State Electricity Boards are now in a position to raise funds on their own for starting or installing new power generation projects because of the financial constraint which the States are facing. It is my apprehension that this amendment will encourage the private sector to start small units for power generation. I think, encouraging the private sector to start projects for power generation will create so many problems. In the absence of a centralised policy of power generation and distribution in the public sector, the whole planning process in the country will be affected. In the name of financial constraint, if we encourage the private sector to instal small units on their own to generate electricity, it will be detrimental to the whole planning process in the country. My apprehension is that enabling anybody to start power generating units with a capital investment to the tune of Rs. 5 crores, will encourage the private sector to instal small generating units. This policy is quite contrary to the whole approach which we have had at the time of nationalisation of power generation projects all over the country.

After 36 years of Independence, India's power generation presents a bleak picture. The present installed capacity being 40,000 MW as against 50,000 MW targeted by the end of the Sixth Plan. Now, we are at the fag end of the Sixth Plan period. The actual generation is less than half with the actual supply reduced by 22 per cent that is, 16 per cent by way of transmission losses and another 6.5 per cent due to thefts. We have to intensify the power generation process in the country on an emergency basis. In this direction, we are now concentrating on nuclear projects. I am not against the nuclear projects. But they have their own technical and environmental problems.

Therefore, in the present day of energy crisis, development of hydro-electric projects provide the cleanest

and cheapest source of power and this is a must in the national interest. Hydro sources in the Southern Region are almost exhausted except in Kerala, which is the State I am representing here. In Kerala, the sources are still there. We can generate more than 2,000 MW of additional power during the coming two decades. With a view to achieving this target, our State had already submitted nine hydro-electric projects for clearance by the Central Electricity Authority and the Planning Commission. Among them, the top most priority was given to the Silent Valley project. But unfortunately, our Prime Minister has silenced us in the name of environmental problems, in the name of ecology and so on. I am not going into that. However, I would like to mention about some other projects which are pending with the Central Electricity Authority and the Planning Commission for the last so many years.

The project report of Kuriarkutty-Karappara multi-purpose scheme was submitted to the Central Government in 1978. The next one is, the Kuttiyadi augmentation scheme, the project report of which was submitted to the Central Government in December, 1976. The increase in the annual equivalent of power generation is 20,000 KV at one hundred per cent load factor. This will add 175 million units to the annual power generation in the State. Over and above this, this project envisages irrigation benefits to 5,200 hectares of land. The project report of Kerala-Pandiar-Punnappuzha scheme was submitted in 1972, 12 years back. The project report of Mananthavady multi-purpose scheme was submitted to the Central Electricity Authority in April, 1980. The power potential of the scheme is 83.3 mw. It envisages irrigation facilities to 12,500 acres.

The project report of Pooyankutty hydro-electric scheme was submitted in March, 1981. The installed capacity

of the project is 1750 kw. and it would add an additional power generation of 175 m. units.

Another one, the project report of Poringalukuthu Right Bank and Athirapally Hydro-electric scheme was submitted to the CEA in July, 1982. The project report of Malapuzha irrigation scheme was submitted to the C.E.A. in March, 1983. The Madupetty small hydro-electric project report was submitted to the CEA in March, 1983.

These are some of the schemes, feasible schemes, for tapping hydro potential of the southern region, especially in Kerala. The project reports were submitted to the Central Electricity Authority and the Planning Commission 12 years back, and to my knowledge none of these projects has been cleared. This is how the things are going on in this vital sector, in this key sector. The inordinate delay in the processing of the schemes submitted by various State Governments for installing power generation projects will not help the country. In the matter of generating more power and tapping hydro potential which is the cleanest and the cheapest method of power generation, these project reports should be given priority. This is my request to the Government and to the Minister.

Coming to the Bill, as I have already said, I am doubtful whether this Bill will serve any meaningful purpose in the process of generating more power when the country is already facing power crisis. Investment on small units will not serve the required purpose. I will not take more time as only one hour has been allotted for discussion on this Bill, it is not very important also, but I have mentioned some of the things to draw the attention of the Government to the seriousness of the problem and the need to generate more power in cheapest and cleanest way, that is through hydro-electric projects. For that the only State in the Southern zone is Kerala which can do something in the

[Shri K. Mohanan]

field I would, therefore, request the Government and the Minister to find out whether the schemes submitted to the Central Electricity Authority and the Planning Commission by the Government of Kerala from 1972 onwards would be cleared without much delay.

With these words, I thank you and I conclude.

SHRI P. N. SUKUL (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir. I rise to support this very simple piece of legislation whereby it is proposed that section 29 of the Electricity (Supply) Act should be amended so that power schemes up to Rs. 5 crores need not be referred to the Central Electricity Authority for their concurrence. As my friend Mr. Mohanan was just saying, although he did not agree with it, in view of the escalation of the cost of inputs since 1948 it was really very necessary, rather essential, that this limit should have been increased and since this limit is being increased from one to Rs. 5 crores, I support this Bill. My friend, Mr. Mohanan was saying that since 1948, price escalation has

been more than hundred times. That is not so. It has not been hundred times—maybe more than five hundred times. But what I am saying is that it is rather just and right that this section should be amended and schemes up to Rs. 5 crores need not be referred to the Central Electricity Authority for concurrence, because that Authority also takes a lot of time in examining these schemes. They have to examine them on techno-economic lines and this could delay the project. So at least up to Rs. 5 crores, this delay will be avoided and this legislation is a welcome move.

The importance of electricity in the modern world needs no over-emphasis. Whether it is a matter of industrial production or agricultural production, electricity has to be there and has to be generated to meet our require-

ments. It is indeed not a very happy state of affairs that even today after 36 years of Independence, we have not been able to generate as much electricity as we actually need to run our industries and also to cater to the needs of the farmers and to supply to the public at large. Still it is rather gratifying to note that in the first quarter of the current financial year, the power generation has been more than 155 per cent—i.e. from April to June—as compared to the corresponding period last year. And in this the thermal power generation has increased by 13.18 per cent and hydro by 19 per cent. A total generation of 154 billion units is fixed for the year 1984-85. When we see that during the Sixth Plan period the target for electricity generation was 19,000 MW and we have been able to achieve only 14.5 thousand MW, it shows that we are lagging behind the target and all out efforts must be made to recoup this state of affairs and to generate as much more electricity as possible. In the Seventh Plan perhaps 30,000 MW additional generating capacity is to be created and in this way perhaps that too may not be achieved by us. So we have to look into this matter of generation of electricity.

It is indeed a very sorry state of affairs that almost all the State Electricity Boards—excepting two or three Electricity Boards like Maharashtra and others—are in a very bad condition and all that they know is to increase the price and cost of electricity. They are going on doing this ever since they came into existence. Almost all of them are running at a loss. It is a very serious matter and must be looked into. As I said at the very beginning, if we cannot generate electricity, we cannot ensure industrial development as much as we want it to be. Almost 20,000 industries or more than 20,000 industries have suffered just because of short supply of electricity. Very important industries—like coal, steel, cement, fertiliser—have all suffered in the past and they are still suffering to the extent that

we are not able to provide electricity to them. So our Government must look into the working and the functioning of these Electricity Boards which are no doubt proving a sort of white elephant for our country and for our States.

As regards the ills of these State Electricity Board, their sickness is due mainly to four major causes. Number one is non-utilisation of capacity. None of these Boards which are running at loss is able to generate electricity to the installed capacity. Capacity utilisation is much less and this utilisation should also be increased. Number two is delay in the implementation of projects. The delay is due to so many factors. Sometimes they do not get turbines or something from BHEL and others because of non-availability. Delay may also be—as I said in the very beginning—because of the delay at the level of the Central Electricity Authority which is now going to be curbed by this legislation to some extent. Number three is poor financial management. Really, their financial management is very bad and it must be looked into seriously. The fourth reason is that on public institutions there are heavy arrears. This is the case with all these State Electricity Boards. I know that in the case of the UP State Electricity Board, as much as Rs. 25 crores is outstanding against the Jal Nigam there and like that against so many autonomous bodies, organisations, corporations and even the Government of India may have to pay something.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: No; they have to pay.

SHRI P. N. SUKUL: So, there are the problems. Somehow it must also be ensured that there are no arrears outstanding, at least against public institutions, of these State Electricity Boards.

Today, Sir, the situation is that shortage of electricity is supposed to

be eight per cent. While transmission losses are to the tune of 21 to 23 per cent, pilferage is supposed to be of the order of 30 per cent. Our friend, Mr. Mohunta, was talking about Haryana earlier. In Haryana alone—there was a report—20 lakh units are being pilfered. So much of pilferage is there. So, Sir, what I suggest is that there should be more effective check on transmission losses, pilferage, etc.

Now, as regards the question of generation, I must say that the cheapest source is water. So, hydro-electric generation has to be there—and not macro projects which involve tonnes of money. Mini projects, micro projects have to be taken up more and more and that way we can generate much more electricity and without investing very huge sums. In this connection I am happy to say that yesterday our State Minister was telling us that the potential of micro-hydel power generation in our country is estimated at 5,000 megawatts. Today our total installed capacity is of the order of 159 megawatts only. So, there is very big scope. This is only the installed capacity and they may not be generating up to that capacity. There may not be total capacity utilisation and it may be around 100 megawatts. So, as against 5,000 megawatts we are utilising only 100 megawatts. So, this has to be explored and very many micro hydel projects have to be installed, at least in all our hill districts. Whether it is in Jammu and Kashmir or Himachal, in UP or Assam, in Meghalaya or Arunachal Pradesh, we must be flooded with these micro hydel projects, and that will go a long way to fulfil our needs for the generation of electricity.

Sir, only yesterday our Energy Minister was good enough to indicate that our country has also gone in for a research and development programme in collaboration with the Soviet Union to develop 500-watt solar power plants to operate water pumps and storage batteries. It may not be a

[Shri P. N. Sukul]

very big thing, may be a small plant. But if such plants are developed and hundreds and thousands of them are used in the country, they will also go a long way to meet our requirements of electricity. So it has also to be developed as early as possible and as many of them had to be installed and used as we can. In this connection, Sir, I will also suggest one more thing. Last year we had a very big fire accident at Obra plant. Every now and then some defects were there in Hardwaganj and Panthi plants. As regards the Obra incident, I had talked to some top engineers of our State Electricity Board, and I am personally convinced that there was a lot of sabotage there. That was the result of sabotage. The report of the committee that was appointed to look into that incident has not yet come out. I do not know why the State Government or the Central Government is not keen about making that report public. It should be made public so that people can know the actual reasons responsible for that sort of incident or accident and they are not repeated in future and proper security measures are taken to guard against them. So, I also say that our security measures at all these power stations must be tightened to their very best so that there is no sabotage no accident takes place, and there is no want of electricity.

In April this year, one day—perhaps it was 19th April or 20th April—somewhere in the transmission line between Obra and Allahabad some defect developed and three-fourths of the State was engulfed in darkness. Three-fourths of Uttar Pradesh was dark. So these things must also be taken care of. And this is what happened in Delhi also. And that was perhaps on 19th of July. The incident in Uttar Pradesh was on 19th April; and here it was on 19th July. There is something wrong with 19th.

AN HON. MEMBER: Astrological.

SHRI P. N. SUKUL: This is what I am saying. If the whole of Delhi can

go dark all of a sudden and for hours together—and somewhere for the whole night there was no electricity; of course, in the VIP areas we could get electricity after two or three hours..

AN HON. MEMBER: After one and a half hours.

SHRI P. N. SUKUL: Yes. At 8 PM lights went off and we got electricity back at 9-30 PM. At so many places it could not be restored like that and it was restored the next day. So, if this is the state of affairs in Delhi, we can imagine what will be happening elsewhere in the country. This is how in our villages the farmers cry for more electricity; they complain that there is no electricity. In Uttar Pradesh I know in certain places not even for one hour there is regular supply of electricity to farmers. This is how we ourselves are responsible for no production or for stalling our agricultural production just as in the case of industrial production. That is why all-out efforts should be made to see that such things do not happen and proper electricity is generated, there are no losses, no pilferage, no accidents, no untoward things.

In this connection, I would also like to suggest that there should be a central grid, and for that we must also somehow persuade the State Governments to accept the proposal of having regional electricity authorities. So many State Governments are opposed to it, they do not want it, but in the larger interests of the country, these regional electricity authorities must be set up and there should be a national grid of electricity so that we can supply electricity to all the State uniformly and regularly. I entirely differ from my friend, Mr. Mohanan, who said that he was opposed to generation of electricity by private people. If the electricity generated in the public sector is not sufficient to meet our requirements, in the larger interests of the country—and ours is a mixed economy—we must always encourage private parties to generate electricity for public purposes.

Sir, as regards Delhi, as far as I know, a four-member committee was appointed to look into the causes of that electric failure on the 19th of July. No report has yet been published or made available. The Members of Parliament are really interested to know what the real causes were. So, I would request the hon. Minister kindly to make that report available to the people as early as possible.

In Uttar Pradesh, Sir, the hydel projects are being neglected for want of proper resources. I suggest that the Central Government must handle the hydel projects of Uttar Pradesh, they must themselves take care of them, so that there is no dearth of electricity on that account. Our Tehri Dam which is supposed to be the biggest dam of its kind, must also be commissioned as early as possible because it is said that by 1990 Uttar Pradesh is going to double its electricity generation.

Also, Sir, in this connection I will say that since Uttar Pradesh has to give this electricity to Madhya Pradesh, Bihar and to other adjoining areas, whereas in our State alone, as I was saying, we are not able to supply electricity for even one hour regularly or two hours to our farmers, so, first of all the electricity generated in Uttar Pradesh must be released to those farmers living in Uttar Pradesh and working in Uttar Pradesh before it is given to other States. There is no regionalism involved here. U.P. is the biggest State and one of the most backward States also. At least our needs must be fulfilled first, and only then our surplus energy can be diverted to other States and other agencies. But, first of all, they have to harness and utilise it in Uttar Pradesh only.

With these words, I support the Bill.

SHRI D. HEERACHAND (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to

speak on this Bill. I am not going into details of what other Members have said. But I would like to highlight some of the points which my State is facing.

Sir, the importance of electricity in any country, whether developing or developed, cannot be overlooked. In fact, the per capita consumption of power is taken as one of the important indicators of the development of the economy.

Sir, Tamil Nadu has been facing acute shortage of electricity for more than a decade. The State Government was forced to impose power cuts ranging from 25 per cent to 100 per cent intermittently from 1971-72 onwards to overcome the shortage. Tamil Nadu has a very meagre hydel potential. Most of the economical hydel potential has either been exploited or already it is on the anvil. The thermal stations in Tamil Nadu were put to difficulties due to several constraints beyond TNEB's control. One is supply of coal. Quantity-wise, as against a linkage of 28,20,000 tonnes for 1983-84 for the Tuticorin Thermal Station, we received only 16,04,130 tonnes, that is 56 per cent. Similarly, for the Ennore Thermal Station, as against a linkage of 14,70,000 for 1983-84, we received 8,35,985 tonnes, that is 57 per cent. During the first quarter of 1984-85 the position has further deteriorated, the receipt of Tuticorin and Ennore having come down to 50 per cent and 46 per cent respectively of the linked quantity. We are, therefore, left with no alternative but to ask the Central Government to allow us to import coal at least to the extent of supplementing the indigenous coal and to have a further buffer stock. Sir, if the present precarious position of coal supply is to continue, we have to use oil to make up the shortfall. But the present price of furnace oil is prohibitive. This is because of huge import duty levied by the Government of India. I would request the Government that oil may be made avail-

[Shri D. Heerachand]

able to Tuticorin plant at a price equivalent to supplied to fertiliser industry. One more important point which I would like to bring to the Government notice is the coal which is supplied to us. The coal received at thermal stations continues to have a very high ash content, far in excess, for which the boilers have been designed. This apart, huge quantities of stone and shale and other extraneous materials come to the thermal stations mixed up with the coal. In recent months we have been removing the stones on an extensive scale through the use of manual labour during the period from December, 1983 to June, 1984. We have removed as much as 7,500 tonnes of stone by manual pickings. As a result of this, the performance of the equipments especially the mills has improved considerably. While on the subject of coal, I would also like to caution that unless the development of coal mines is taken on a big scale commensurate with the requirements of thermal stations, power generation in the country will face a serious crisis in the not too distant future. The Tuticorin thermal scheme was cleared as early as in 1973, it was linked to collieries of Purushothampan, Kottadib and Nagarkonda in Ranigum area. But these mines are yet to be developed even after a decade. The expansion project and North Madras Project for which sanction from the Planning Commission is expected shortly are linked to Kalinga mines and it is not certain when these mines are going to be developed. Therefore, a crash programme for the development of mines and ports for handling facilities may be taken up immediately.

States like Tamil Nadu which have exhausted the hydel potential and have no major potential of fossil fuel should be given priority in the location of nuclear plants. An immediate solution to the serious problems faced by the Tamil Nadu State on the power front will be installation of gas turbines. Unfortunately, the proposal sent by our State for the installation

of gas turbines of 300 MW capacity have not found favour with the Government of India. A reconsideration of this is urgently called for. I would, on this occasion, like to repeat the objections we have already raised to the formula adopted by the Centre for sharing of power from Central projects. Any sharing which is based on past consumption in the States in the region is patently unjust, to States like Tamil Nadu which are already short of power. This formula further accentuates the shortage in deficit States and aggravates inter-State imbalances. I would press our view that allocation should be based on anticipated shortage in the States in the region. In this context, I would like to draw the attention of the Government to a very important matter. Sir, the Government of Tamil Nadu earlier pressed the Central Government for the location of a nuclear plant in the State and the Government of India was kind enough to concede the demand by sanctioning the Madras Atomic Power Project with a generation capacity of 235 MW in 1967. At that time there was a clear understanding between the State and the Central Governments that the entire output from Kalpakkam would be allocated solely to Tamil Nadu to meet the urgent, pressing needs of the people. Again in 1971 the Hon'ble Prime Minister in Rajya Sabha gave categorical assurance to the question raised by Mr. K. P. Munusamy. I request that the entire power from the Kalpakkam may be allocated to Tamil Nadu as promised earlier.

At this juncture, I would also like to reiterate our request for early clearance of the third mine cut and third thermal station of 1000 MW at Neyveli to be established during the Seventh Plan period. Power development is a long term process and there is often a time-lag of a decade or more between conception of a project and its commercial operation. It is, therefore, essential that we should have a long term perspective plan for a period of 20 years for each State. Then alone can a systematic development of

power potential be planned and realised.

While the Electricity Boards have been blamed indiscriminately for their poor financial performance, it does not appear to have been recognised that a major reason for this is the policy followed by the public sector undertakings of the Government of India. It is strange that while the State Electricity Boards because of their socio-economic commitment, are not in a position to run on purely commercial lines, the undertaking of the government of India like Coal India, BHEL, etc., which are responsible for the infrastructural and operational requirements of the power sector, are allowed to work on purely profit-oriented lines. This results in the finances of the Electricity Boards being reduced to ruins. For instance, during the last five years, there has been an increase of 300 per cent in the price of coal, a 200 per cent increase in the price of oil and a 247 per cent increase in railway freight. It is an extremely easy operation for organisations like Coal India or BHEL to show excellent working results in terms of profits by overcharging the Electricity Boards who are their consumers. But it must be realised that the Electricity Boards cannot automatically pass on these increases in costs to their consumers. This is the principal reason for the financial travails of the Electricity Boards. If power has to be supplied to people at reasonable prices in the interest of socio-economic development, that is a responsibility that should be jointly shared by the Electricity Boards, BHEL, Coal India, etc., who all jointly constitute the power sector. It is a strange situation where Central Government undertakings are allowed to prosper at the expense of the States and State Government undertakings. Instead of the Centre giving financial assistance to the States, today there is a reverse transfer of funds, that is, from the States to the Centre through the device of administered prices. This is a matter that gives cause for serious concern to all

right-thinking men since it raises some basic issues of Centre-State relationship of far-reaching significance. It is in this context that I would urge that there should be a total re-evaluation of the working of such enterprises as Coal India BHEL and fixation of different norms to assess their performance. The efficiency of these organisations should never be judged by the profit they made since that will only encourage them more and more to exploit the Electricity Boards.

It is well known that one of the major reasons for the poor financial position of the Electricity Boards is the subsidised supply of power to the agricultural sector. The States are obliged to follow a policy of subsidised supply of power to the agricultural sector. It is, therefore, essential that a mechanism is evolved by which a major part or the whole of the subsidy on the supply of power to the agricultural sector is borne by the Central Government. It is high time that all of us realised that the energy problem in the country cannot be solved by merely whipping the Electricity Boards. It is a composite problem with many dimensions and involves many different sectors and authorities. All the Central and State agencies concerned at various levels have to come together and try to evolve a total comprehensive solution. We are fortunate today that at least three of the major components of the energy sector, power, coal and oil, are under the charge of the same Minister at the Centre. We, therefore, look up to you, for help in enabling the State Electricity Boards to play their real role effectively.

Sir, if you will permit me for one minute, I will say one thing more.

मैं एक और चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। राजस्थान के अन्दर बीकानेर के पास एक गाँव है पलाना है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लिग्नाइट है। मैं दो साल पहले भी इस बात पर

[Shri D. Heera Chand]

यहां बोल चुका हूं, रीसेंटली भी वहां गया था। उस कोयले को जर्मनी भेजा गया है। उनकी एक्सपर्ट कमेटी ने आकर उस कोयले की जांच की है और उस कोयले को बिलकुल उपयुक्त माना है। उनकी राय है कि वहां पर इतना लिग्नाइट है, कोयला है कि बहुत बड़ा थर्मल पावर स्टेशन इंस्टाल किया जा सकता है। उस के लिए काफी आफ्फिशियल वगैरह भी नियुक्त हो गए हैं कई साल से, लेकिन पता नहीं मामला खटाई में क्यों पड़ा हुआ है। मेरा ऐसा ख्याल है कि स्टेट गवर्नमेंट के सामने आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह मामला ऐसे पड़ा है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी और मंत्री जी इस को देखेंगे? एक तरफ तो बिजली की इतनी कमी है और जहां हमारे पास रिसोर्स हैं उन को हम ठीक ढंग से टेप नहीं कर पा रहे हैं। चार दिन पहले मैं वहां गया था। मैंने देखा है कि वहां कोई काम नहीं हो रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई आर्थिक कठिनाइयां हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस काम को अपने हाथ में ले सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

श्री रामानन्द यादव (बिहार) :
उपसभाध्यक्ष जी, जब से पहले तो मैं आप को बधाई देना चाहता हूं कि आपने आज यह स्थान ग्रहण किया है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

इन के बाद मैं इस बिल का समर्थन करना हूं क्योंकि यह बहुत बहुत पहले आना चाहिए था और जैसा कि हमारे विरोधी पक्ष के एक नार्थी ने कहा कि पीसमील बिल लाने से कोई फायदा नहीं होता है। हर पहलू से विचार कर के एक कंप्रेहेंसिव बिल ला कर कुछ भविष्य

और कुछ पीछे की घटनाओं से अनुभव ले कर एक कंप्रेहेंसिव बिल लाने से ही कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन सरकार पीसमील बिल ला कर तत्काल कुछ फायदा उठा लेना चाहती है। इस में सिर्फ समय बर्बाद होता है और कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो पाता। तो हम, जो समय योजनाओं को क्लियर करने में सेंट्रल अथॉरिटी लेती थी और उस सब की छानबीन करती थी और स्टेट के अफसरान को दांड कर और स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के और सरदार के अफसरान को यहां बार बार आना पड़ता था दिल्ली में, उस से तो कम से कम छुटकारा मिला कि अब वे 5 करोड़ रुपये तक की योजनाएँ स्वतः गिपटा लेंगे और 5 करोड़ की योजनाएँ अब बहुत अधिकृत हो गयी हैं। उनकी हो गयी हैं। इस में समय की बचत होगी और इन से कुछ अधिक काम हम कर सकेंगे।

आज जितने भी स्टेट्स हैं उन में, खान कर महाराष्ट्र आदि में स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स वाटे में चल रहे हैं और अनेक बार यहां इस विषय पर चर्चा हुई कि इलेक्ट्रिसिटी के मामले को केन्द्र की खुद ले लेना चाहिए, अपना मैनजमेंट रखना चाहिए। लोक सभा में इस आशय का एक प्रस्ताव भी पास हुआ, प्राइवेट मेम्बर बिल आया और वह एक मत से पास हुआ कि एलेक्ट्रिसिटी का महकमा भारत सरकार ले ले। लेकिन वह नहीं लिया गया। किस तरह से एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स नफे का कंसर्न बनाये जायें इसके लिये भारत सरकार को कोई गाइड लाइन्स तैयार करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत से फाइनेंस कंसल्टेंट्स हैं और प्रोजेक्ट्स जब वहां से बन कर आते हैं तो सेंट्रल

एलेक्ट्रिसिटी एथारिटी और योजना आयोग को बहुत समय लगता है और उस में समय लगने से परेशानी होती है। पैसा न होने से परेशानी बढ़ती है और इस सब में चोरी भी काफी होती है। हमारे जो इंजीनियर हैं एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में उन लोगों में एक बार बिहार राज्य में एक आंदोलन चलाया कि जितने टेक्नोक्रेट्स हैं वही लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सहकर्मों को भी सम्हालेंगे। पहले जो चेयरमैन होता था एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का वह नान-टेक्निकल आदमी होता था। वह आई० ए० एस० होता था यह जो भी बड़ी पोस्ट्स हैं उन सब पर नान टेक्निकल आदमी होते थे, लेकिन बिहार में आंदोलन चला कि टेक्नोक्रेट ही उस का चेयरमैन हो और जितनी बड़ी पोस्ट्स हैं वह जन्ही लोगों के पास रहें। चोर-चोर मौसेरे भाई। सब इकट्ठा हो गये और सब कोशिश करते हैं कि धन कमायें और आप चले जाइये किसी एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, आप देखेंगे कि कल तक जो ग्रावरसिधर था आज वह दो तीन वर्ष में बड़ा आदमी हो गया है, उस के पास एक स्कूटर होगा, उस का पक्का घर बनना शुरू हो गया होगा। यह भव कहां से होता है। आप एक कमीशन बनाइये और देखिये कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने वाले जो बड़े बड़े अफसर हैं, इंजीनियर हैं उन की संपत्ति कितनी बढ़ी है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी के महत्त्व की सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्दर ले लीजिए। इसमें किसी तरह की कोताही करने की जरूरत नहीं है।

मान्यवर, जुलाई, 1984 में दिल्ली में जो घटना हुई, उसकी चर्चा माननीय सदस्य मुकुल जी ने की है। सरकार

की तरफ से कहा गया कि नार्थ गिड में कोई खराबो आ गई। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि यह जो इलेक्ट्रिसिटी ढाई घंटे के लिए बन्द रही, दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, क्या उसके पीछे कोई सबोटाज था? ओबरा में जो भयानक आग लगी उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। यह भी कहा जाता है कि वहां पर सबोटाज हुई। यह जो घटना 19 जुलाई, 1984 को दिल्ली में दो-ढाई घंटे बिजली बन्द होने की घटी, इसके पीछे विध्वंसकारियों का हाथ है या नहीं, इसके लिए सरकार को जांच करनी चाहिए ताकि पता लग सके कि क्यों ऐसी घटना घटी। अगर रख-रखाव के कारण, इन्वाइज की कमजोरी की वजह से या ऐक्टर्नल कारणों से हुए तो इस देश की जनता को, दिल्लीवासियों को यह अधिकार है कि वह जानें कि ऐसी घटना क्यों घटी। रख-रखाव के कारण हुई तो उसका प्रबन्ध होना चाहिए।

मान्यवर, बिहार राज्य में कांटी थर्मल पावर प्लांट है। यह थर्मल पावर प्लांट कमीशन हो जाना चाहिए या तीन चार महीने पहले। लेकिन पता नहीं कब कमीशन होगा। एन०टी०पी०सी जितने प्रोजेक्ट लेता है उसमें काफी समय लगता है। यह बात ठीक है कि कमीशन होता है और प्रापर ढंग से होता है, लेकिन समय बहुत लगता है। सरकार को चाहिए कि एन०टी०पी०सी० की वर्किंग परिवर्तन लाए, उसकी क्षमता को बढ़ाए, उसकी गियर-अप करने की जरूरत है मान्यवर कांटी का प्रोजेक्ट बिहार में है। सारा नार्थ बिहार अप्रिकल्चर प्रधान एरिया है और कहीं भी बिजली संविदाई वहां हमको नहीं मिल पाती है। घरों में बिजली की बात छोड़ दोजिए, डायि के लिए भी कहीं

[श्री रामानन्द यादव]

कोई बिजली का उपयोग नार्थ बिहार में नहीं हो पाता है। कांटी का जो प्रोजेक्ट है उसके पूरा हो जाने से नार्थ बिहार में बिजली मिल जाएगी। जो मुजफ्फरपुर का एरिया है, जो इंडस्ट्रियली डेवलप कर रहा है, उसको भी हमने मंजूरता मिलेगी।

मान्यवर, बिहार में कोयला प्रोजेक्ट अभी पड़ा हुआ है, पता नहीं यह कहाँ है। इस योजना का पता नहीं क्या हुआ। इसके अलावा कहलगांव का प्रोजेक्ट आज से तीन चार वर्ष पहले मंजूर सा हो गया था, लेकिन पता नहीं किन लोगों की कांसिपिरेसी से कहलगांव प्रोजेक्ट को खरम कर दिया गया। बिहार राज्य इसके लिए सफर कर रहा है। अखबारों में सुनते हैं कि फिर उसकी मंजूरी हो गई है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कहलगांव और कोयला प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है। क्या निकट भविष्य में ये प्रोजेक्ट टेक-अप किए जाएंगे और कांटी प्रोजेक्ट कब पूरा होगा ?

मान्यवर, इस देश में नदियों के जल से, वर्षों से, पहाड़ों में पानी इतना होता है कि वहाँ हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी टेक-अप हो सकते हैं। चीन के छोटे-छोटे हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाकर अपने देश की बिजली की समस्या को हल किया। आज उन्हीं छोटे-छोटे हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को वह अफ्रीका को दे रहा है दान के रूप में, एड के रूप में। हमारे यहाँ पानी काफी है, झिली एरिया भी है, झरने हैं, इनको यूटीलाइज करना चाहिये। नदियों में इतना पानी बहता है लेकिन उसका सिंचाई के लिये उपयोग नहीं होता, बिजली पैदा नहीं होती। रूस में क्रांति को जब सफलता मिली तो लेनिन ने सबसे पहले यह काम किया कि उसने बिजली की पूर्ति के लिये, बिजली

का उत्पादन बढ़ाने के लिये पंचवर्षीय योजना में कदम बढ़ाया। वहाँ कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल काम इसी से बढ़ायेगे। आज आप देखते हैं कि उनी बिजली उत्पादन की वजह से आज सोवियत रूस एग्रीकल्चर के मामले में आगे है, इंडस्ट्री के मामले में आगे है। हमारे देश में घटिया किस्म का कोयला मिलता है। कोयले से लिंक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की एक योजना भारत सरकार के पास थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस कोयले से लिंक तो बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट था, उसके संबंध में क्या हुआ। क्या इस संबंध में आपने कोई चिंतन किया है। अगर चिंतन किया है तो इस तरह के प्रोजेक्ट बिहार राज्य में बहुत ही अच्छे तरह से लगाये जा सकते हैं क्योंकि बिहार राज्य में कोयला बहुत मिलता है इसलिये इसको बिहार राज्य में देने की कोशिश करनी चाहिये। हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं। उनके रख-रखाव के संबंध में उचित प्रबंध नहीं किया गया है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि थर्मल पावर प्लांट्स में घटिया किस्म का कोयला मिलने की वजह से यह बंद हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। वास्टेज कम हो जाता है और बिजली के पाटर्न टूट जाते हैं, जैसा कि कोटा में हुआ। इस संबंध में अच्छे किस्म का कोयला पहुंचाने के संबंध में कोई चिंतन किया है ताकि थर्मल पावर प्लांट्स अच्छी तरह से चल सकें, अच्छी अत्रिका बिजली पैदा हो, मशीनरी अच्छी तरह से चल सकें ?

मान्यवर, जो पावर प्लांट्स है वे बहुत पुराने हो चुके हैं, थर्मल पावर प्लांट्स बहुत पुराने हो गये हैं, दूसरे देशों से लाये गये हैं। अब ऐसी भी समस्या हो गई है कि उन देशों में जहाँ से बड़े लाये गये हैं वहाँ पाटर्न, पुर्जें नहीं

मिलते हैं। अगर एक पुर्जा खराब हो गया है जिसकी वजह से मशीन बंद हो गई है, युनिट बंद हो गई है, उस पुर्जे को लाने में भी बहुत सा समय लगता है और कभी-कभी तो माफिट में मिलता भी नहीं। ऐसे प्लांट जो काफी पुराने हैं और अगइकोनोमिकल हैं उनको धीरे-धीरे आगे के रेनोवेट करना चाहिये। आगेको एटोमिक प्लांट बैठाने में क्या दिक्कत है? सुना है सोवियत रशिया ने आकर किया था कि बहुत बड़े विशाल पैमाने पर एक एटोमिक प्लांट बैठाने में वह हमारी मदद करेगा। जो कि शायद हमारी बिजली की जो समस्या है उसकी बहुत कुछ आंशिक रूप में पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सोवियत रूस ने एटोमिक प्लांट को बैठाने का जो आफर दिया था उसके संबंध में क्या हुआ? आपके जो पुराने प्लांट हैं उनके स्पेयर पार्ट्स प्राप्त करने में आप कौन सा प्रयास कर रहे हैं? थर्मल पावर प्लांट जो सतत-समय पर बंद हो जाते हैं उनका क्या कारण है। यहां का एक एटोमिक प्लांट दो वर्षों से बंद है और वह आंशिक रूप से राजस्थान में चल रहा है। इन पर सरकार को सोचना चाहिये।

मान्यवर, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सर्वसाइज्ड रेटन पर भारत सरकार भी इलेक्ट्रिसिटी लेती है और उममा पैसा भी भारत सरकार नहीं दे पाती है। मैं जानना चाहता हूं कि इन तरह का पैसा जो भारत सरकार पर ड्यू है, स्टेट गवर्नमेंट पर, म्युनिसिपलिटि पर, कारपोरेशन पर या जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, जैसे बिस्ला जी का

डिण्डालको प्लांट है, मिर्जापुर में, करोड़ों रुपये चुल्ला नहीं हो रहा है। वे लोग पैसा चुल्ला नहीं कर रहे थे। उन कम्पनी का नाम डिण्डालको है। मैं जानना चाहता हूं कि उनसे पैसा वसूल करने में दिक्कत क्या है? अनी देखने में यह आता है कि राज्य सरकारें अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिजली तो ले लेते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते थे। ऐसी स्थिति में राज्यों में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं वे फिर प्रसार से फंडिंग कर सकेंगे?

जहां तक ट्रांसमिशन लाइन्स का सवाल है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, जहां हमारे देश में बिजली पैदा करने की क्षमता में कमी हुई है, वहां तारों की और बिजली की चोरी भी बहुत होने लगी है। चालीस प्रतिशत बिजली चोरी हो जाती है। मैं और स्टेटों की बात तो नहीं जानता, लेकिन अपने राज्य बिहार के संबंध में जानता हूं। वहां पर एक रस्ती लेकर बिजली की लाइन को नीचे खींच लिया जाता है और फिर बिजली का कनेक्शन ले लिया जाता है ... (व्यवधान)।

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) : मान्य इन् मानले में हमारे गुरु है और हम अपने चेते हैं ... (व्यवधान)।

श्री रामचन्द्र दासन : आगे यहां भी यही होता है। आगे कहने की हिम्मत नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी के यहां शादी होती है या विवाह का आयोजन होता है तो लोग तार की लाइन पर रस्ती डालकर तार को नीचे खींच लेते हैं और फिर कनेक्शन ले लेते हैं। दो तीन दिनों तक बिजली का इस्तेमाल किया जाता है और

[श्री रा. रा. चंद यादव]

फिर तार को छोड़ दिया जाता है। इस तरह से करोड़ों रुपयों का नुकसान बिजली बोर्ड को होता है। बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं वे बिजली तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिजली का बिल चुकता नहीं करते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जो बिजली बोर्ड आपके पास सहायता के लिए आते हैं, आप उनसे पूछिये कि उनको जो पैसा वसूल करना है उसको वसूल क्यों नहीं करते हैं? हमारे बिहार राज्य में डालमिया-जैन कम्पनी है। वे लोग बिहार राज्य का खून चूस रहे हैं। जब उनसे पैसा देने की बात कही जाती है तो वे कारखाना बंद करने की धमकी देने लगते हैं। मजबूर होकर सरकार उनका पैसा माफ करने के बारे में सोचने लगती है और अन्त में बिजली का पैसा माफ कर दिया जाता है। इन लोगों के आदमी यहां पार्लियामेंट में भी बैठे होते हैं जो इस चीज के एनकरेज करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो पूंजीपति बिजली इस्तेमाल करते हैं और फिर बिजली का पैसा नहीं देते हैं उनसे सरकार को बेरहमी के साथ पैसा वसूल करना चाहिए, उनकी इस धमकी में नहीं आना चाहिए की वे कारखाना बंद कर देंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ट्रांसमिशन लाइनों में जो चोरी होती है उसके रख-रखाव के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए आपके पास कोई मशीनरी नहीं है। आप इस काम के लिए अलग से लोगों को एंगेज कर लिये। अभी जो स्टाफ है उनके पास कोई तेज चलने वाला वाहन नहीं होता है जिससे वे लाईन्स की ठीक से देख-भाल कर सकें।

मान्यवर जहां तक पूर्वांचल का संबंध है वहां पर चार-पांच योजनाएं शेष पड़ी हैं। ये बड़ी अच्छी योजनाएं हैं। पीपल और लोकटक योजनाएं आज तक पूरी नहीं हुई हैं। बहुत दिन

पहले से इन योजनाओं की बात चल रही है। आसाम में स्वर्नश्री और एक दूसरी योजना बहुत दिनों से बनी हुई है, लेकिन उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसी तरह कलहान और कोहिल योजनाएं भी हैं। इन सबों को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए। जो योजनाएं आपने टेक-अप की हैं उन योजनाओं को पूरा करने में आपको क्या परेशानी है। आप उसमें पैसा दें। आप और भी योजनाएं लें लेकिन पहले उसको पूरा कर दें ताकि उसका लाभ लोगों को मिल सके।

मान्यवर, लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से देश में उद्योग धंधे बढ़ेंगे, अन्न की उपज बढ़ेगी। अगर हम इस पर अधिक धन व्यय नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा; देश का काम नहीं चलेगा और न उद्योग धंधे बढ़ सकेंगे और न अधिक लोगों को इम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे और न फुल प्रोडक्शन मिल सकेगा, न बाहर से रानान मंगाना पड़ेगा और लोगों में मनोष होगा। अगर इसका उत्पादन अधिक नहीं होगा तो न हम ज्यादा इम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे, न अन्न की ज्यादा पैदावार होगी और इसके कारण हमको बाहर से अन्न मंगाना पड़ेगा। मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार हो रहा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लांटिंग कमीशन पर जोर दिया जाना कि अधिक से अधिक पैसा इस मद में अलाट करें। कोई भी स्टेट या डिपार्टमेंट इसके लिए आबजेक्ट नहीं करेगा, और सब यही चाहेंगे। बिजली सब चीजों की जननी है, जिसके माध्यम से देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, रेल चल सकती है, कोयला निकल सकता है, सीमेंट का उत्पादन हो सकता है। सारा काम इसके माध्यम

से ही चल रहा है। क्योंकि यही एक इनर्जी है जिससे हम अधिक से अधिक काम ले सकते हैं। हम पेट्रो-कैमिकल इनर्जी से इतना काम नहीं ले सकते हैं। मोलर इनर्जी से अधिक काम नहीं ले सकते हैं। हम एटामिक प्लान्ट्स की बात कहते हैं, लेकिन यह दीर्घकालीन योजना है और इसमें पैसा काफी लगता है, इसलिए इनको इतने बड़े पैमाने पर नहीं लगा सकते हैं। यह इन्वेस्टिमेंट का जो आपका प्रोजेक्ट है, इस साल दामोदर वैली कारपोरेशन के चैयरमैन मिस्टर लूथर वहां गये थे। बंगाल के मजदूर काम नहीं करना चाहते। वे तो खाली हाजिरी बजाते हैं। 2-3 बजे आते हैं, सी०पी०एम० की यूनियन के लोग हैं और वे एक्जरीरेटेड डिमान्ड्स करते हैं चाहे मजदूर काम करें या न करें, मगर उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। ऐसी सुरत में मैं आपसे कहूंगा कि इन उद्योग धंधों में, जहां बिजली पैदा होती है, इनमें आप स्ट्राइक को टोटली बैन कर दें। अगर इस तरह का प्रावधान आप नहीं करेंगे तो बिजली अधिक पैदा नहीं होगी। अंत में मैं समय की बचत करते हुए आप जो बिल लाये, आंशिक रूप से बिल लाये हैं, इसको अगर आप कम्प्रेहेंसिव रूप से लाने की व्यवस्था करते तो ज्यादा अच्छी बात होती। इतना कहकर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA (Haryana): Mr. Vice-Chairman, Sir, I must support the views expressed by Mr. Ramanand Yadav because he has properly castigated the Government. He has pointed out the faults in the policy of the Government of India. He has also pointed out very elaborately the corruption rampant in this Department of Electricity. Mr. Ramanand Yadav also pointed out that the thefts which have repeatedly occurred

in this Department and the incompetence of this Department has been very clearly brought out by him for which I support him.

SHRI RAMANAND YADAV: I know your motive.

SHRI SUSHIL MOHUNTA: I actually thought Mr. Ramanand Yadav was trying to make a place for himself on this side, though I never knew that what he was saying were his own views.

श्री रामानन्द यादव : आप इसकी चिन्ता मत कीजिये।

श्री राम नरेश कुशवाहा : आपने जो कहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री हुसबदेव नारायण यादव (बिहार) : रामानन्द जी लोकदल के ट्रांसमीटर है जो वहां से बोल रहे हैं।

श्री रामनरेश कुशवाहा : हमारा आदमी उस घर में भी रहे तो अच्छा है।

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA: Now, coming to this Bill I must say that I am reminded of what Shakespeare said through the mouth of Cassius in his famous play 'Julius Caesar'. I quote:

"The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings."

After 37 years of planning, after a number of Plan periods, after 37 precious years, after this big planning, we have come out with this amendment that in one particular Section of the Electricity (Supply) Act, instead of We have not yet learnt a lesson that Rs. 1 crore, we will have Rs. 5 crores. this country is backward today. We are at the lowest rung in the developed society because you could not envisage plan for providing electricity on a large scale to the people of this country. And what has happened in its wake? We have suffered industrially, we have suffered in the agriculture sector, we have suffered in the self-employment sector, and the net result is that we are poorer today. When the other countries have gone up, we

[Shri Sushil Chand Mohunta]

have gone down. Whatever our position might be in 1947, our position today is still below that. The people below the poverty line have multiplied. Today we have more than 50 per cent of our population living below the poverty line all because you could not think that this is a living country, this is a developing country and that for a developing country, they need food, they need raw material, they need infrastructure. And electricity is the basic raw material for any development of this country. Without electricity, we could not go. As Shri Ramanand Yadavji has correctly pointed out, the Russians after the Revolution in 1917 realised that Russia cannot progress without providing adequate electricity and that unless the people are made to earn, they are made to work and they are provided avenues of work, Russia cannot become rich. They envisaged it and the first thing which the Russians did in their planning was that they provided for electricity. Here, we never thought of it. And we have not thought of it till today. And it seems that the only wisdom that we have acquired today is that from Rs. 1 crore we want to increase the limit to Rs. 5 crores so that the State Governments may waste their five crores of rupees down the drain. Before he goes in for an amendment, I want to ask the hon. Minister one thing: What does he think and what is going to happen to Rs. 5 crores? What projects can we have with Rs. 5 crores that would supply electricity to the State? We need electricity in a big way. After all, there may be thermal plants here and there, small generation units here and there. They do not solve the problem of electricity even in a small State like Haryana. What about big States like Uttar Pradesh and Maharashtra? You are giving Rs. 5 crores to every State. What are you going to do with the schemes worth Rs. 5 crores? What are you going to do with that unless you want that Rs. 5 crores to go waste, to go down the drain and people put it in their pockets, the people

becoming rich and the country becoming poor. If this is the aim, I think, your amendment is correct. But, if the aim is to provide electricity to every village, to every household, then I am very sorry to say that I cannot understand what project do you envisage in five crores of rupees. And what is your planning? What is your planning today to provide electricity to the country up to the turn of the century? I can understand if you say that we have a scheme by which by the turn of the century so much electricity will be generated from this project and so much will be generated from that project and that by that time every village, every household would be having electricity and we would have big industries running on it, small-scale industries running on it, self-employment schemes running on it, and agriculture sector running on it.

5 P.M. I can understand if you say that. You have no scheme.

Even today the position is that the crops in Haryana are failing. The cotton crop, the paddy crop is failing because there was a breach in the Bhakra canal. You have no electricity to provide us with the result that all those crops have perished without water. They have been finished. There is not a grain. You won't have a grain of paddy or rice in Hissar District. Not a grain of paddy will be grown and there will be no cotton crop. This is your achievement of providing us electricity. We should not have been dependent upon only one system. If one system failed, the other system should have been of utility to us. It is not there.

Now, the position of Bihar has been retold to you by Mr. Ramanand Yadav. He says that in Bihar they do not get electricity even for one hour. Even Shri Ramanand says that and you have been in power for the last 37 years and this is your achievement in Bihar. Then you don't think of this big country together. Don't think of small regional units. You should think that this electricity, water, these are raw materials for the benefit of the entire length and breadth of this coun-

try. You have a grid system in this country. For that grid system these conceptions do not go together. The regional concept of providing electricity and of the Central grid system cannot go together. It is the duty of the Central Government to see that each State according to its need is provided electricity. And if it is to be at the direction of of the Central Government then why should the State Government be financing its projects for producing electricity to the tune of Rs. 5 crores. I cannot understand. Lately we have known about the Naphtha-Jhakhri complex which can come up. It has not yet been started but it can come up in Himachal Pradesh and it can provide so much electricity that it can feed the whole of Punjab, Haryana, Rajasthan and Delhi. That project has not yet been initiated. Then we have the Ravi-Beas dam. Think of the electricity that could be generated from the Ravi-Beas dam. How many years have been wasted, tell me. We got the water in 1960. This dam was envisaged even earlier and till today the water is going towards Pakistan. We cannot utilise the water and there is no generation of electricity. The generation of electricity from the Ravi-Beas and Naphtha-Jhakhri, both could have met our needs at least for the next five to ten years for all these three States, namely, Punjab, Haryana and Rajasthan. But no, there is no effort in this direction.

Now he wants that by this simple amendment of putting five instead of one he can achieve the objective of having this country reach the year 2000 A.D. and yet be prosperous and self-sufficient in electricity. I cannot understand. This won't pay. You must first make up your mind that electricity is to be generated on a large scale through the Central Government with the control of the Central Government and electricity is to be distributed by you or it is an unimportant subject to be looked after by the States so that the State gener-

rates or does not generate, it is not your headache. If the crops famish or they die in Haryana, it is not your headache. If the industries do not run in Haryana, it is not your headache. But in spite of that I tell you that Rs. 5 crores is not sufficient to start any major project of generation of electricity. So, the amendment is useless. It has no meaning. It has no objective. The objective to be achieved or which you want to achieve is not reflected in what the amending Bill says. It will go through; whether we like it or not, it will go through, but if it goes through, I do not know how the country will stand to benefit by it or how any State or any project is going to be helped by it. Can you recount to me—I would be wiser—how many projects are languishing in the States for being completed because the Rs. 5 crore limit was not introduced earlier. If you can tell me of any worthwhile project in any State, I would be deeply indebted; I do not know. So, I would again ask you, leave aside all prejudices, leave aside all the previous planning which has failed. Mr. Ramanand Yadav said that your previous planning has failed the country; the country has become poorer. Reverse the whole process; be bold to take up guts and get your department and experts together and ask them how to proceed ahead in the country afresh. Forget the past; start afresh for the future so that what you have missed, what the people have lost because of your faulty planning, you can compensate them by the turn of the century. If you can do this, it would be a very valuable service to the country. If you cannot, this amendment, I can tell you, would not take you any farther.

श्री नरेन्द्र सिंह (उत्तर प्रदेश) :
उपसमाध्यक्ष महोदय, यह जो इलेक्ट्रिसिटी
(सप्लाई) अमेंडमेंट बिल है, इसका
उद्देश्य बहुत सीमित है और जिस सीमित
उद्देश्य के लिए यह बिल पेश किया गया
है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

[नरेंद्र सिंह]

दरअसल, यह जो इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) बिल है, जैसे हमारे मित्र, रामानन्द यादव जी ने कहा और भी कई मित्रों ने कहा, इसमें लूल रूप से परिवर्तन करने की जरूरत है। छोटे-छोटे अमेंडमेंट से काम नहीं चलेगा, पीसमील अमेंडमेंट ले आर्यो उससे काम नहीं चलेगा, एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए, जिसमें सारी बातों को सोच करके, विचार करके और एक बार अमेंडमेंट हो जाए, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे मंत्री जी एक कम्प्रीहेंसिव बिल बहुत जल्दी लायेंगे, जो सारे आस्पेक्ट्स को कवर करते हुए मौजूदा जरूरतों को पूरा करेगा।

मान्यवर, यह जो बिल है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली के बिना किसी क्षेत्र में कुछ हो नहीं सकता है, आर्थिक क्रांति नहीं हो सकती, सामाजिक क्रांति नहीं हो सकती, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। न तो कृषि के क्षेत्र में हम बढ़ सकते हैं, न हम इण्डस्ट्री के क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते, अगर बिजली की कमी रहती है।

तो, मान्यवर, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यह जो हमारे स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, इनकी वॉरिंग को देखें, तो अभी तक चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा है तमाम देश के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का। घाटा हो और बिजली अगर मिल जाए लोगों को जरूरत भर, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बिजली भी नहीं मिलती और घाटा अलग से होता है।

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। हमारे मंत्री जी भी उत्तर

प्रदेश से आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वह जानते हैं—गांव से भी उनका वास्ता है, किसानों को बिजली का रेट ड्रॉइंग कर दिया गया, लेकिन बिजली पहले मिलती थी छह घंटे, आठ घंटे, अब बिजली मिलने लगी है चार घंटे और कहीं-कहीं पर तो मिलती ही नहीं है। उससे मान्यवर, तमाम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो रहा है, गिर रहा है। मैं चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में बिजली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि अगर कृषि का उत्पादन घट गया तो बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी होगी। मान्यवर हमारी सरकार की योजना है कि गांव में उद्योग-धंधे लगें लेकिन उद्योग-धंधे गांव में लगेंगे कैसे, जब बिजली ही नहीं होगी, पावर नहीं होगा तो उद्योग-धंधे कैसे लगेंगे। यह एक और कानून और व्यवस्था की बहुत बड़ी स्थिति मान्यवर गांव में है, रोशनी अगर हो तो मैं समझता हूँ कानून और व्यवस्था की स्थिति को भी नियंत्रित करने में काफी सहायता मिलेगी। अगर रोशनी हो तो यह तय बात है कि डकैत वहां नहीं जायेगा अंधेरे का फायदा उठा कर डकैत और चोर तथा एंटी सोशल एलीमेंट्स तमाम तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं। तो मान्यवर मैं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की बात कह रहा था। पुरे हिन्दुस्तान में अगर देखें तो हमारा जो इलैक्ट्रिसिटी की ग्रोथ रेट है उसमें पिछले तीन सालों में लगातार कमी आ रही है। मान्यवर, 1981-82 में जो ग्रोथ रेट थी वह 10.2 प्रतिशत 1982-83 में वह घट कर 7 प्रतिशत हो गई और 1983-84 में 5 प्रतिशत। हालांकि यह बढ़नी चाहिए। यह बड़ी सीरियस बात है। पावर जेनरेशन में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उसके रेट परसेंटेज में कमी आयी है, इसको बढ़ना चाहिए, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि

इसमें एज ए होल तो पावर जनरेशन तो बढ़ा है लेकिन जो परसेटेज है ग्रोथ रेट में उसमें कमी आयी है। इसको मान्यवर बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। तो यह मान्यवर मैं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की बात कर रहा था। यह हमारा वेस्ट बंगाल का इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है अगर आप कलकत्ता जाएं तो वहां की हालत तो इतनी खराब है कि मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी शहर की हालत उतनी खराब नहीं होगी। हर घंटे किसी समय भी, एक घंटा भी यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि लगातार पावर ही होगी। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की जो वर्किंग है इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। चाहे बिहार का इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश का हो, एक बात जरूर मैं कहूंगा इसी जगह हमारे महन्त साहब कह रहे थे कि हर दिशा में हम नीचे जा रहे हैं। कुछ हुआ ही नहीं है, उन्हें आभास हो रहा है कि कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जिस समय देश आजाद हुआ था तो हिन्दुस्तान के 5 हजार से कम गांवों में बिजली थी। पूरे देश में और इस समय हिन्दुस्तान के 3 लाख से अधिक गांवों में बिजली पहुंची है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं गया है। हुआ है, लेकिन जितना काम होना चाहिये था जो बिजली की पूर्ति जिस मात्रा में होनी चाहिये थी वह कम हुई है ... (व्यवधान) हां, 15 सौ गांवों में बिजली थी और अब तीन लाख से ज्यादा गांवों में बिजली है क्योंकि गांव की बात मैं कह रहा था यह जो रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट है, कारपोरेशन है, मान्यवर, इस की वर्किंग को भी तेज करने की जरूरत है। इस में तो जो फंड्स रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन की तरफ से स्टेट्स को दिये जाते हैं इसमें बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो पैसे

का सही उपयोग नहीं कर रही हैं। कहीं-कहीं तो वेतन के बांटने में उसका उपयोग किया जाता है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में उन्हें बहुत सख्त रख अख्तियार करना चाहिये, सैन्ट्रल गवर्नमेंट को सख्त रख अख्तियार करना चाहिये जो कि रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन का पैसा है जो गांव में विद्युतीकरण करने के लिए पैसा है, वह विद्युतीकरण के काम में लगना चाहिए किसी दूसरे काम में उसका उपयोग नहीं होना चाहिये। मान्यवर बिजली की कमी के कारण, कुछ और भी इसके कारण हो सकते हैं आज 24 हजार उद्योग सीक पड़े हुए हैं, जिनमें किसी न किसी रूप में बिजली की कमी भी एक वजह है। अब यदि बिजली की कमी से उद्योग बंद हो गये तो हम लोगों को एंप्लायमेंट कैसे दे सकेंगे? तो इस तरफ मान्यवर ध्यान देने की जरूरत है।

एक और निवेदन मैं करूंगा चाहूंगा कि जो हमारी इंस्टाल्ड कैपैसिटी है और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। यह गैप क्यों है? जब सख्ती होती है, तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है और जहां ढिलाई हुई तो प्रोडक्शन कम हो गया। एक अगर सख्ती करने से प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो इस के मायने यह है कि जो प्रोडक्शन के लिये अधिकारी हैं वे लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। बहुत जगह तो 'ट्राइक्स' हैं, इनका भी असर होता है। मैं मानता हूं कि एम्प्लाइज की कुछ मांगें जाइज हो सकती हैं। लेकिन यह इलैक्ट्रिसिटी कैसे विभाग में मान्यवर स्ट्राइक्स की तो कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिये। उनकी जो मांगें हैं, वह तो जरूर पूरी होनी चाहिये। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारी इंस्टाल्ड कैपैसिटी

[श्री नरेन्द्र सिंह]

है, उसका कायदे से पूरा उपयोग होना चाहिये। अगर पूरा उपयोग नहीं हो सकता, तो उसका मैक्सिमम उपयोग होना ही चाहिये, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा की जानी चाहिये।

अब मान्यवर, एक और दिक्कत है कि हमारे यहां यह लोसेस बहुत हैं। मैं पढ़ रहा था, जम्मू कश्मीर में तो जो इस के लोसेस हैं, लाइन और पिलफ्रेज के, ये सब मिलाकर 50 परसेंट तक हैं, यह 50 परसेंट तक वहां लोसेस हो जाते हैं और तमाम स्टेट में हमारे उत्तर प्रदेश में भी 20 परसेंट से ज्यादा यह डिस्ट्रीब्यूशन में लोसेस हैं। इन लोसेस को किसी न किसी तरीके से कम किया जाये। इस को रोका जाये। इस और विचार किया जाना जरूरी है।

यह जो मान्यवर डिबलण्ड कन्टीज है, उनमें किसी का लोस है, दो परसेंट है, मैक्सिमम लोस 7 परसेंट है और हमारे यहां 20 परसेंट से कम का लोस है ही नहीं किसी भी स्टेट में...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J. P. GOYAL): Is it the loss by pilferage or the loss by...

श्री नरेन्द्र सिंह : बाई ट्रांसमिशन। मान्यवर, एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा। चूक रूल इन्वैक्ट्रीफिकेशन के सिलसिले में जब मैं बात कर रहा था तो उस में अरबन एरिया में और खासतौर से रूल एरिया में शेड्यूल्ड कस्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये सरकार की योजना है कि उन्हें बिजली की सुविधा दी जाये। लेकिन मान्यवर, होता यह है कि उसका उपयोग गांव में जो मजबूत और ताकतवर लोग है, वे ही कर रहे हैं

और उसका फायदा उठाते हैं। उस गरीब बेचारे के यहां रोशनी पहुंच नहीं पाती। तो इस बात की भी पूरे तरीके से जांच की जानी चाहिये कि जो हरिजन बस्ती में बिजली की सुविधा दी जानी थी, वह दरअसल उनको मिल रही है या नहीं। अगर नहीं मिल रही है, तो किसी अधिकारी ने तो गड़बड़ी नहीं की है, यदि की है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

मान्यवर, अब किसी प्रदेश में बिजली ज्यादा है और किस प्रदेश में बिजली कम है। यह जो रोजनल इन्वेलेन्सेस है, इसको भी रोकने की जरूरत है। इसके लिए नेशनल ग्रिड को मजबूत बनाने की जरूरत है। यह जो नेशनल ग्रिड है सारी स्टेट्स में, उनकी जरूरत के हिसाब से उनकी बिजली मिलनी चाहिए और यह जो कॉन्स्टेंट लिस्ट है, इसमें पावर का सब्जेक्ट है। मैं चाहूंगा कि इसे चाहे संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़े तो भी संशोधन किया जाना चाहिए, लेकिन यह सेटल लिस्ट में होना चाहिए और सेटल का हिस्सा होना चाहिए ताकि सारी स्टेट्स को बराबर बिजली मिले, उसकी जरूरत के हिसाब से बिजली मिले। मान्यवर, हमारा जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट है वह डेकोइड एफिस्टैंड है। मैं विद्युत मंत्री जी से खास तौर से निवेदन करूंगा कि कानपुर, इटावा और जो दूसर चार-पांच दस्यु-ग्रस्त जिले हैं वहां के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जाये तो उस से उस इलाके का लाभ होगा।

मान्यवर, जैसा मैं कह रहा था, इस बिल का बहुत सीमित उद्देश्य है, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से फिर निवेदन

करूंगा कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाएं जिस से इस में जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। मैं फिर इस बिल का समर्थन करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत कुछ कहने का अवसर दिया।

श्री शंकर सिंह बाघेला (गुजरात) : माननीय मंत्री ने यह जो संशोधन दिया है वह बहुत छोटा है। 48 के 1 करोड़ और आज के 5 करोड़ में बहुत फर्क नहीं है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को परमीशन देने में जो दिक्कत आती है उस में सिर्फ 1 करोड़ रुपये का सबाल है या उस से बढ़ाकर 5 करोड़ का—उस से फर्क पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं और सुझाव देता हूं कि आप 5 करोड़ से 10 करोड़ पर ले जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है।

लोक सभा के सदस्यों में जो इस बिल की चर्चा हुई उस की रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी। और भी सदस्य जो पावर जानते हैं और हम जो विदाउट पावर है उन सब के भाषण में यह सुना एनीगेशन है कि हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई भी राज्य में किसी पार्टी की भी गवर्नमेंट हो, सब का एनीगेशन है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, हमारे राज्य में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ठीक नहीं हो रही है, जितनी पावर हमको मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है, बल्कि जो दो साल पहले मिलती थी उस में भी डेरेगुलैरिटी आ गई है।

आज इलेक्ट्रिसिटी इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप उद्योग में भी सफल नहीं होंगे और खेती में भी वृद्धि नहीं कर पावेंगे।

एक और भी एनीगेशन है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बटवारा होता चाहिए, शहरों में और गांवों में, वह ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। आज शहरीकरण के कारण शहरों में पोल्यूशन के प्रबलम हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी शहर में 80-90 परसेंट और गांवों में 10-20 परसेंट। जिस देश की जनसंख्या का 80 प्रतिशत किसान गांवों में रहने वाले हैं उन को आप 20 परसेंट बिजली दे रहे हैं और जो 20 परसेंट शहरों में रह रहे हैं उन को 80 परसेंट बिजली दे रहे हैं। आप बिजली का हर राज्य के हिसाब से कौटा बंटवाइये। शहरों में कितनी बिजली इंडस्ट्री में जाती है? और गांवों में कितनी? और खेती के लिये जो पम्प सेट्स देते हैं या गांवों में जो छोटे छोटे उद्योग लगे हैं उन में जो इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स हैं उन के लिये आप कितनी पावर देते हैं। मैं इस की डिमांड करता हूं कि शहरों में और गांवों में भेद न किया जाय और मिनिमम 40 परसेंट बिजली खेती के काश्तकारों को दी जाये जिस से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में वृद्धि हो।

एक बात और यह है कि स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की जगह नेशनल ग्रिड हो और इस को कॉन्क्रेट पावर के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाये और यहां से ही डिस्ट्रिब्यूशन हो। यह एक सोचने की बात है। लेकिन जो एक राजाध्यक्ष कमीशन बनाया गया था उस की रिपोर्ट के हिसाब से उस में एक सुझाव था कि तीन, चार राज्यों का एक रीजन बनाया जाय। उस में अपने-अपने स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के डाइरेक्टर हों, चेयरमैन हो और वह उस के मेम्बर रहें और सेंटर की ओर से भी उस में जो जाय वह देखे कि किस तरह से स्टेट्स में तालमेल को अच्छा बनाया जा सकता है। इसके

[श्री शंकर सिंह बाघेला]

लिये राजाध्यक्ष कमीशन की रिपोर्ट में एक सुझाव है। उसको ले कर आप रीजनल बोर्ड्स बना कर इस की शुरुआत कर सकते हैं और इस में जो दिक्कतें आती हैं कि एक राज्य की अगर कोई हाई टेंशन पावर लाइन है उस में से किसी और राज्य को पावर सप्लाई करनी है तो वह स्टेट बाले या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले यह न बोल सकें कि यह हमारी लाइन है इस से आप पावर नहीं ले सकते। रीजनल बोर्ड होने से यह प्राबलम सात्व हो जायगा और नेशनल ग्रिड के हिसाब से एक स्टेट की पावर दूसरी स्टेट में देनी हो तो एक ही लाइन का इस्तेमाल बिना उस स्टेट की परमीशन के किया जा सकेगा। इस में और भी प्राबलम्स आ रहे हैं। देश में पावर जनरेट करने के लिये और ज्यादा कोशिश की जानी चाहिए। इस में प्लान्ट लोड फैक्टर भी एक फैक्टर है। तो प्लान्ट लोड फैक्टर की कमी को दूर किया जाय और लाइन लोसिज जो 20 परसेंट हैं उस में और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है जो और इरिगुलैरिटीज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में है उनमें कई कई महीनों तक उनके चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होती है। कहीं टेक्नोक्रेट की नियुक्ति है। कहीं आई० ए० एस० अफसर की नियुक्ति है, कहीं पोलिटिकल वर्कर की नियुक्ति है। और इन सब के कारण कोई नियुक्ति नहीं होती है। कई बार पावर सप्लाई में कमी हो जाती है। मेरा सुझाव है कि इन नियुक्तियों को पोलिटिकल ईश्यू बनाया जाय और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हिसाब से अगर टेक्नोक्रेट को ठीक समझा जाय तो उसको या जिसको ठीक समझा जाय उसको उसका चेयरमैन बनाया जाय। इसके अलावा समय पर प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं किये जाते हैं और इसके कारण जो

प्रोजेक्ट आज के समय के अनुसार 400 करोड़ रुपये का है वह अगर दो साल तक टाला जाता है तो वही 800 या 1000 करोड़ का हो जाता है। इस कारण यदि हम समय पर अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। समय पर जो भी काम हो पूरा किया जाना चाहिये। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स अपने हिसाब से रेट्स में भी वृद्धि करते रहते हैं। इसके लिए भी एक रेटिंग कमीशन होना चाहिये। सारी चीजों को देख कर रेट्स बढ़ाये जाने चाहिये क्योंकि इसका सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ता है और उस सब का असर ग्राहकों पर पड़ता है। इसलिए रेटिंग कमीशन भी होना चाहिये और किस कारण से कितने और क्यों रेट्स बढ़ाये गये हैं इसका कारण भी बताया जाना चाहिये।

इसके बाद लोड शेडिंग का जो मामला आता है, ब्रेक डाउन का, जो 19 जुलाई को दिल्ली में हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हुआ। इसके पीछे कांस्-पेरेसी है, वह यूनियन की हो या कोई दूसरे की गड़बड़ी हो, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आदि सब राज्यों में चल रही है और पिछले 6 महीनों में एक न एक दिन पूरे स्टेट में वहां अंधकार रहा और इसकी वजह हमारी जो भेल से मशीनें आती हैं या तो उनमें कोई गड़बड़ी है। उत्तर भारत का जब यह हाल है, दक्षिण भारत का क्या हाल होगा। मेरे को पता नहीं है। इसलिए जो गड़बड़ हर प्रदेश में होती है उसकी जांच करनी चाहिए। हर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो नुकसान करता है उसको भी देखना चाहिए। आप देखिए कि हमारे यहां 5 प्राइवेट कंपनीज देश में काम कर रही हैं, जैसे गुजरात में

अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, मध्य प्रदेश में दो कम्पनियां हैं, वह कंपनियां अगर मुनाफा करती हैं तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नुकसान क्यों करते हैं। ये पांच प्राइवेट कंपनीज हैं इसकी आप स्टडी करें तो आपके थरमल पावर स्टेशन में बैठकर हमारे बोर्ड जो संचालन करते हैं उनको चाहिये कि उनकी जो खसूसियत हैं उनको अपनायें।

मिनीमम चार्ज जो किसानों या इंडस्ट्री वालों से लिया जाता है वह आप लें लेकिन उनको आप मिनीमम बिजली भी दें। आप मिनीमम चार्ज भी लेते हैं और मिनीमम बिजली भी नहीं देते हैं मैं अपील करता हूं कि आप मिनीमम चार्ज को समाप्त कीजिए और जो बिजली सप्लाई कीजिए इस पर चार्ज लगाइये, बिना बिजली के चार्ज मत करिये।

ट्रांसफार्मर जो काम करते हैं, मुझे यह जानकारी है कि जो कोयला उनमें सप्लाई होता है उसमें कीचड़ और पत्थर होते हैं। वह कीचड़ और पत्थर ट्रांसफार्मर को बन्द कर देते हैं, पूरे रीजन में उससे अंधकार हो सकता है।

इल्लीगल कनेक्शन और चोरी जो होती है वह योजनाबद्ध होती है। चोरी करने वाला अकेले चोरी नहीं करता। वह चोरी करता है तो इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारियों के साथ मिलकर करता है। अगर 15 हास पावर का पम्प उसने अपने खेत में लगाया दो हजार रुपये का उसका बिल आता है तो वह 500 रुपये कर्मचारी को देगा, और पांच सौ का बिल देगा और एक हजार रुपये की बचत करेगा। तो चोरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी वर्ग की मिलीभगत से होती है। तो उसको भी चैक करना चाहिये। ऐसी व्यवस्था आप कीजिए कि जितने हास पावर उसको

सैक्शन है, उसके हिसाब से चार्ज लिया जाए, हरियाणा में ऐसा किया जाता है। बिजली की चोरी कैसे रुके इसके लिए आप संशोधन कर सकते हैं और जो लोग कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से भाव तय कर सकते हैं। प्रोडक्शन के ऊपर भी कर सकते हैं।

जो आपका समय पर पावर प्लांटों का सैक्शन करने का काम है उसमें देर होती है जिसके कारण जितनी इलेक्ट्रिसिटी जैनरेट होनी चाहिये वह नहीं हो पाती। जैसे गुजरात के गांधीनगर थरमल पावर स्टेशन के ऐक्सटेंशन की हमने मांग की है, लेकिन उसका सैक्शन नहीं मिला। कच्छ के लिगनाइट थरमल स्टेशन का प्लानिंग कमीशन की ओर से क्लियरेंस नहीं आ रहा है। वहां इतना लिगनाइट है जिससे कोयले की प्राबलम भी साल्व हो सकती है, बिजली की कमी भी पूरा की जा सकती है। सिक्का में थरमल पावर स्टेशन का ऐक्सटेंशन हमने मांगा है। उत्तारण में थरमल पावर स्टेशन का रिप्लेसमेंट मांगा है वह भी नहीं मिला है। हम कोयले से बिजली के लिए आधारित हैं। लेकिन इसके लिए गैस-बेस्ड और माइक्रो हाइड्रल प्रोजेक्ट लगाये जा सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपये की गैस हर रोज असम और गुजरात में जलाई जाती है। तो आप क्यों नहीं गैस बेस्ड हमारे थरमल पावर स्टेशनों की क्लियरेंस देते हैं? जहाँ-जहाँ गैस का मामला है, जहाँ जहाँ गैस जलाई जाती है, चाहे बम्बई हाई का मामला हो। एक नई दिशा माइक्रो-हाइड्रल-प्रोजेक्ट के जरिए मिलेगी। हमने चार डैम के लिए माइक्रो-हाइड्रल-प्रोजेक्ट के लिए आप से टेक्नो-इकोनॉमिक क्लीयरेंस मांगी है। वह अभी तक नहीं मिली है। जितनी जल्दी हो सके वह आप देने की कृपा करें ताकि थरमल पावर प्लांट ठीक

[श्री शंकर सिंह वावेलाल]

तर्ह से काम कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भाई रामानन्द बा बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया। आशा करता हूँ हमेशा हम लोगों का भार हल्का दिया करेंगे क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं। मंत्री जी का भी आभारी हूँ कि कम से कम उन्होंने यह सोचा कि एक करोड़ से पाँच करोड़ कर दिया जाये। लेकिन मैं मंत्री महोदय से यहाँ कहना चाहता हूँ कि 1948 का एक करोड़ आज के बित्तेन करोड़ के बराबर है। 1951 का एक रुपया आज दस पैसे के बराबर है। तो आप 10 करोड़ भी कर दें तो बढ़ायेगे इकत्ती हीं। 10 करोड़ से ऊपर कर दें तो मैं समझता हूँ कि कुछ इससे लाभ होने वाला है। मैंने संशोधन दिया है 10 करोड़ कर दिया जाए लेकिन उससे केवल इतना ही होगा कि वह एक करोड़ 10 करोड़ के बराबर होगा। जो काम 1948 में एक करोड़ में हो सकता था वह आज कोई लाख में हो सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको और बढ़ाइयें। अगर आप प्रभावकारी कदम उठाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ाइयें। हमारे यहाँ सारा काम उल्टा हो रहा है। एक समय था यानी सातवीं शताब्दी के मध्य श्री बी० के० आर० बी० राव जो स्वयं इंजीनियर थे, भारत सरकार में सिंचाई मंत्री भी रहे, वह रुस गये हुए थे। रुस में जब लौट कर आये तो उन्होंने एक वयान दिया कि रुस में सबसे पहले बिजली का प्लांट लगाया जाता है और अफसरों, कर्मचारियों का रहने का प्रबन्ध डेंट डाउन कर दिया जाता है। लकड़ी के खम्भे लगवा कर गन्तव्य स्थान

पर बिजली पहुँचा दी जाती है और जब प्लांट से आय होने लगती है तो उसी आय से अफसरों के बंगले बनते हैं, कर्मचारियों के रहने के घर बनते हैं और लोहे के खम्भे लगाये जाते हैं। उन्हीं का कहना था कि हमारे देश में इसका बिल्कुल उल्टा है। सबसे पहले अफसरों के बंगले बनते हैं, उसके बाद कर्मचारियों के मकान बनते हैं। सबसे पहले जहाँ बिजली पहुँचानी है वहाँ से बिजली के खम्भे लगाने शुरू होते हैं प्लांट तब और सबसे बाद में प्लांट में पहुँचते हैं। यह उल्टी सरकार हमारे यहाँ होती है। मेरा कहना वही है, यह भारत सरकार के भूतपूर्व सिंचाई मंत्री, जो स्वयं इंजीनियर थे, उनका कहना था। हम कहेंगे तो हमको यह कह देंगे कि आप क्या जानते हैं टैक्नोकलिटी। मैं कहना चाहता हूँ कि बुद्धि का सरकार हमारे देश में बहुत हुआ। अगर उस मोटी बुद्धि से काम लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपको एक बुद्धि से काम करना है चाहे कुछ भी हो, कोई नियम, उपनियम रहता है या नहीं, आपको काम करना है। यह काम करना है यह सोच कर ही आप काम करेंगे तब तो कुछ होगा और नहीं तो मैं क्या बताऊँ। अगर वह नहीं चाहेंगे तो वह काम कभी नहीं होगा। एक काम अगर अधिकारी चाहे तो तत्काल हो जायेगा। हम चाहेंगे तो आप भेज देंगे हमारी तरफ से तोट लगाकर और पचास साल पुराना डी ओ निकाल कर दिखा देंगे कि इसमें यह गड़बड़ है, वह गड़बड़ है, यह काम नहीं होगा। अगर आपका मन करेगा तो आप अपने मन के मुताबिक डी ओ निकाल कर दिया जायेगा कि यह ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो यह मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। जहाँ तक बिजली बोर्डों का सम्बन्ध है, प्रत्येक बिजली बोर्ड की हालत बहुत खराब है। आप उनकी अटानामी के नाम पर

हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन घाटा पूरा करने की जिम्मेवारी आपकी है। वे कितना भी घाटा करते चले जायें, आप आम लोगों पर टैक्स लगा देते हैं और टैक्स से उस घाटे को पूरा करते हैं। उस घाटे की जिम्मेवारी उन पर नहीं आती है। आज सरकारीकरण का क्या मतलब है? सरकारीकरण का मतलब यह है कि नौकरी एक्कम पक्की हो गई। अगर कहीं आपने गुरुते में किसी को निपाल दिया तो वह सुप्रीम कोर्ट में चला जायेगा और वहाँ से जीतकर अपनी पूरी तनख्वाह लेगा। तरक्की के लिए शेड्यूल बना हुआ है, वह बढ़ती जाएगी। जब इतनी संतुष्टता मिल जाये तो फिर काम करने की जरूरत क्या है। काम से छुट्टी मिल जाती है। अगर वहाँ पर कोई थोड़ा-बहुत उत्पादन हो जाये तो वह भी देश का माल है, अपना माल है और सरकार का माल है। उसको भी खा लिया जाता है।

रामजी की चिरई रामजी का खेत.

खाली चिरई भर भर पेट।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक रेणुसागर थर्मल पावर स्टेशन बिरला का है। उसकी क्षमता 90 मेगावाट है और उसका उत्पादन 120 मेगावाट है। वही पर सरकार का पावर स्टेशन है जिसकी क्षमता तीन हजार मेगावाट उत्पादन है। लेकिन उत्पादन सिर्फ एक हजार मेगावाट भी नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक आप ढिलाई से काम करते रहेंगे तब तक कोई भी सरकारी उपकरण मुनाफे में चलने वाला नहीं है। अगर आप मुनाफा दिखाते हैं तो दाम बढ़ाकर दिखाते हैं। माल का दाम बढ़ाने के बाद मुनाफा होता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप कर्म-

चारियों को घाटे और मुनाफे में हिस्सेदार बनाइये। अगर आप कर्मचारियों को घाटे और नफे में हिस्सेदार बनाएंगे तो यूनियन भी चोरी को पकड़ने में आपकी मदद करेंगी। अगर बिजली की कहीं पर चोरी होगी, नुकसान होगा तो उससे कर्मचारियों को तनख्वाह कम मिलेगी। इसलिए वे चोरी को पकड़ने में मदद करेंगे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि बिरला का थर्मल पावर स्टेशन तो 90 मेगावाट की क्षमता का होते हुये भी 120 मेगावाट का उत्पादन करता है और सरकारी पावर स्टेशन 40 प्रतिशत का भी उत्पादन नहीं कर पाता है। उसमें से भी 20-25 परसेंट ट्रांसमिशन लाइन में लीम हो जाता है। सिर्फ 30 परसेंट का ही उत्पादन हो पाता है। इस तरह के व्यापार से तो अच्छा ही है कि व्यापार ही बंद हो जाये।

मान्यवर, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अबबार में एक कार्टून निकला है—

बिजली रानी है मनमानी, जब आनी तब आनी,

जब जानी, तब जानी, सचमुच में तुम हो असली रानी॥

बिजली कभी आती है कभी जाती है। हमारे यहाँ बुद्धि काफी है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा आधिकार नहीं हुआ है कि बिजली को स्टोर कर लिया जाये। लेकिन अगर आप कह दें किसी चोर को कि वह बिजली को स्टोर करने का कोई तरीका निकाल ले, तो शायद वह इसका भी तरीका निकाल ले इस दिशा में हम एक्सपर्ट हो गये हैं। चोरियाँ सब जगह होने लगी हैं। हमारा खर्चा बढ़ना जा रहा है और उत्पादन कम होता जा रहा है। यह स्थिति अतन्तकाल तक चलने वाली नहीं है। यह आपको और हमको किसी दिन

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

ले डूबेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मिनिमम गारन्टी लिख दें। आप यह मिनिमम गारन्टी दे दें कि हम चौबीसों घंटे बिजली देंगे। और देते कौं घंटा हैं। इस बारे में हमारे भाई लोग कह चुके हैं, मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है। एक मिसाल है कि 'तुरन्तोज विकासको घलवा' चाहे माल बिक या न बिके मुझे घलवा दें। घलवा कहते हैं माल खरीदने के बाद जो खरीदार है वह उससे थोड़ा सा और ले लेता है, उसको घलवा कहते हैं। अगर माल बिके तो दो और अगर न भी बिके तो भी दो। अब बिजली तो देते नहीं लेकिन कहते हैं कि इतना रुपया हमको जरूर चाहिये। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप किसानों की बिजली और इंडस्ट्री की बिजली को अलग-अलग कीजिये। चोरी करते हैं विरला साहब, चोरी करते हैं टाटा साहब, मोदी साहब और डालमिया साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट चोरी करते हैं और घाटे का सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगता है और वह घाटा हमसे पूरा किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि खेती और इंडस्ट्री की बिजली को अलग-अलग कर दीजिए तब हम देखते हैं कि कहां चोरी होती है। चोरी तो बड़े लोग करते हैं और कर्मचारी करते हैं। हमको ढंग मालूम है कि चोरी कैसे होती है। रामानन्द यादव सिखाये हैं कि ऐसे बिजली का तार फेंको और तब ऐसे चुरा लो। जब तक कोई बिजली का जानकारी नहीं होगा तब तक यह चोरी कौन बतायेगा। इसलिये मान्यवर, हमारे मित ने जो कहा कि कर्मचारी इसमें साक्षी रहते हैं तो कर्मचारी साक्षी ही नहीं रहते हैं, खूब कमाते हैं। जिनके यहां लाइन नहीं कटनी चाहिये वहां लाइन काट लेते हैं और जिनकी लाइन कटनी चाहिये वह चालू रहती है। यह क्यों होता है? यह इसलिये कि उनका स्थान इसमें इन्वाल्व रहता है। ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जल जाता है गांव के टयूब वेल का लेकिन वह दो-

दो महीने पड़ा रहता है क्योंकि कोई घूस देने वाला नहीं है और वह बदला नहीं जाता। लेकिन किसी भी ऐसी ट्रांसफार्मर का, जिसका संबंध किसी सेठ से हो वह ट्रांसमीटर 24 घंटे के अन्दर बदला नहीं गया है वो ऐसी बात नहीं। आखिर यह क्या हो रहा है? आप खेती की बात कह रहे हैं। अभी भाई नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि उत्पादन बढ़ाना है। आप उत्पादन कहां बढ़ा रहे हैं, कौन बढ़ायेगा? सरकार ने तो कह दिया है कि बाजार में इतना गेहूं आधा है और हमने खरीद लिखा है। ठीक है जब एक मन गेहूं का जितना पैसा मिलता था उतना चार मन के बिकने पर मिलेगा तो किसान मजबूर होकर चार मन बेचेगा। इसको आप उत्पादन बढ़ाने की निशानी मान लें तो 'जाके मतिभ्रम भयो खगेशु, सो कहु उत्तर उयऊ दिनेशु'। जिसकी बुद्धि मारी जाती है वह ऐसे ही तर्क देता है, जैसे कि हमारी सरकार तर्क दे रही है कि बहुत उत्पादन हो गया है। लेकिन अगर हिसाब जोड़ा जाय तो पता चलेगा कि इतना पैसा नहीं हो रहा है। अगर आप बड़ी-बड़ी दुकानों और हलवाईयों की पूरी और मिठाई की भरी दुकान देखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारा देश खुशहाल हो गया। ऐसा नहीं है। इसलिये मान्यवर, मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि आप खेती के लिये बिजली अलग कीजिये। थर्पल पावर स्टेशन हर जगह में छोटे छोटे बना दीजिये जो कि क्रैश खेती के लिये बिजली दें। इन्धन नेटों की चोरी बंद की और न बिजली चुराई जायेगी। अगर हमारे लोग चुरायेगे, किसान चुरायेगे तो वे इसका दंड भी भोगेंगे। लेकिन विरला चोरी करे और उसका दंड हम भोगें यह कौन चलेगा। इसलिये आप यह प्रवचन करिये। साथ ही साथ भालू, करनाली, त्रिसूली, पंचेश्वरी ये योजनाएँ उत्तर प्रदेश की हैं, या इसी तरह बिहार और असम की नदियों

में जो बांध बनाकर, रिजर वायर बनाकर नहर बनाई जा सकती हैं और उससे बिजली भी पैदा की जा सकती है, यह आप करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थर्मल पावर स्टेशन जरूरी है। हाईड्रो-इलेक्ट्रिक पैदा करने के बाद भी, क्योंकि हिन्दुस्तान में वर्षा अनिश्चित होती है और जब अनिश्चित होगी तो केवल हाईड्रो-इलेक्ट्रिक पर निर्भर रहेंगे तो। जिस साल बरसात नहीं होगी तो आपका बधिया बैठ जायेगा। इसलिये थर्मल पावर स्टेशन बनाकर बराबर तैयार रखे। अगर पानी नहीं बरसा तो जितनी बिजली वहां से दी जाती है उतनी बिजली की आपूर्ति आप थर्मल पावर स्टेशन से कर सकते हैं तब जाकर यह काम चलेगा। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि औद्योगिक उत्पादन आप नहीं करेंगे और उत्तर प्रदेश का तो बधिया बैठने वाला है। जितना आपने उद्योग के लिये कर्जा दिया है हर आदमी अपना खेत बेच करके अपना घर बेच करके आपका कर्जा देने जा रहा है। आप बिजली देगे नहीं उद्योग चलेगा नहीं दूसरा कोई साधन है नहीं। कर्जा आप मीने पर चढ़ कर वसूल कर लेंगे क्योंकि आप अपना दोष तो मानेंगे नहीं कि हमने समय से कर्जा नहीं दिया बिजली नहीं दी। उत्पादन नहीं हुआ तो कर्ज को वसूल करने पर रोक लगाएं या ब्याज माफ करें या कुछ करें, तो आप यह तो करने वाले नहीं हैं। इसलिये उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण की बात तो आप सपने में भी मत सोचिये। कई लोगों से हमारी बात हुई। जो कुछ उद्योग लगाना चाहते हैं लेकिन उनका एक ही कहना है कि सब जो नगर देगे बताओ बिजली का क्या होगा। बिजली जब नहीं मिलेगी तो सब कर के क्या करेंगे। इसलिये हम कानपुर में लगायेंगे, कलकत्ता में लगायेंगे, बम्बई में लगायेंगे, दिल्ली में लगायेंगे ताकि कम से कम इतनी बिजली तो मिलेगी कि हमारी पूँजी न डूबे। तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि शहर और

देहात की बिजली और उद्योग की बिजली का आप अलग-अलग इंतजाम कर दें ताकि कम से कम हम दूसरों की चोरी का फल न भोगें। जब तक आप बिजली नहीं देंगे सारा का सारा बकवास होगा कोई चीज आप कर नहीं सकते कोई डवलपमेंट का काम नहीं कर सकते क्योंकि बिना बिजली के जैसे ताश के सारे पत्तों को बीबी मार देती है उसको मारने के लिये इक्का ही चाहिये तो अगर बिजली रानी है जो कि सभी को बादशाह को मार देगी। सारा उत्पादन और सारी चीजें ले कर बैठ जाएंगे... (व्यवधान) यू० पी० की नहीं मैं सारे देश में कह रहा हूँ यू० पी० का तो हमने उदाहरण दिया है कि वहां तो औद्योगिकीकरण हो ही नहीं सकता है। आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अकबर बादशाह ने तोता दिया किसान को पालने के लिये और कहा कि देखो भाई इसके मरने की खबर मत देना, अगर मरने की खबर दोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। अब कुछ दिन के बाद तोता मर गया और कहना भी जरूरी था इसलिये वह राजा के पास उसके दरबार में चला गया और कहा कि तोता तो सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके सोया है। तो राजा ने कहा अरे यह क्या है? किसान ने कहा कि न बोलता है, न चलता है, न हिलता है, न डुलता है। तो राजा ने कहा अरे हुआ क्या? वह परिभाषा करना था, लेकिन सीधा नहीं कहता था कि मर गया है। उसी तरह मंत्रियों, आप मंत्री हैं आपका मुँह सिला हुआ है। आप सारे कुकर्म को कह नहीं सकते लेकिन जानते सभी हैं क्योंकि आप मजबूर है, जो सचिव कहेंगे जो लिख कर रिपोर्ट लाएंगे सरकार को डिफेंड करने के लिये आप वही कहेंगे। आप मजबूर है। आप वही कहेंगे जो तथ्यों के बिल्कुल विपरीत हो लेकिन सरकार के अनुकूल पड़े। इसलिये मैं आप से कहता हूँ कि दुनिया को आदमी धोखा दे सकता है लेकिन अपने को

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

नहीं दे सकता है। आप मंत्री हैं देश के प्रतिनिधि हैं मैं आप से निवेदन करता चाहता हूँ कि आप दुनिया को धोखा दीजिए पर अपने को धोखा मत दीजिए। आप सब जानते हैं तो आप सब सारे कुकर्मों की दवा कीजिये और निश्चित रूप से जब तक आप मजदूरों को, कर्मचारियों को सार्जिदार नहीं बनायेंगे तो सारे सरकारी उपक्रम बँट जाएंगे। इसलिये अगर मुनाफा होता है तो उसको खूब वोलन दीजिये, खूब तनखाह बढ़ाइये, घाटा होता है तो उसी हिसाब से तनखाह कम कर लीजिये लेकिन एक निश्चय कर लीजिये कि आप लोगों पर जनता पर टैक्स लगाकरके घाटा पूरा नहीं करेंगे तभी आप जा कर कुछ इलाज कर पायेंगे वरन् ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। आप कोई दवा नहीं कर पायेंगे और हम चिल्लाते रह जायेंगे और आप अपना रास्ता चलते जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं भाई रामानन्द जी का पूरा-पूरा समर्थन करता हूँ और इसलिये समर्थन करता हूँ कि आप ने एक करोड़ का 10 करोड़ किया है यह कोई बड़ी बात नहीं है आप इनको अगर बीस करोड़ कर दें तो ठीक है। (व्यवधान) मैंने अमेडमेंट दिया है 10 करोड़ के लिये मैं तो यह कहता हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं तो बीस करोड़ कर दीजिये अन्यथा इन्का कोई मतलब नहीं है।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, जो अभी संशोधन सदन के सामने आया है मैं समझता हूँ कि ऐसे संशोधन से काम चलने वाला नहीं है क्योंकि दो चार वर्षों के बाद फिर ऐसा संशोधन लाना होगा क्योंकि कीमतें तो बढ़ें, एक विकसित व्यवस्था में ऐसे कीमतें बढ़ती रहती है और ऐसा संशोधन लाने के लिये एक करोड़ के लिये शायद आधी करोड़ संशोधन पास कराने में दोनों सदनों में मिला

जुला कर खर्च होता होगा। इसलिये अगर सरकार चाहे तो जनरल पावर्स ले ले और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वगैरह के जरिये टाइम टु टाइम तय कर रकम बढ़ा दे। हर बार इन तरह के कानून बनाने का कोई तुक नहीं बैठा है कि कानून के जरिये इस काम को किया जाये। अच्छा हो कि सेक्शन 29 को रद्द कर दिया जाये यह नहीं रहे, आप आपसी व्यवस्था कर लें राज्य सरकारों के साथ और बढ़ते रहें क्योंकि हमारे यहां कीमतें तो बढ़ती ही रहेंगी।

बिजली के इन मुद्दे पर विचार करते हुए एक जनरल डिबेट हो गया है तो मैं भी उसने हिस्सा ले लेता हूँ क्योंकि यह बात सीमित नहीं रही है। मैं बिहार के संबंध में इतना ही कहूँगा—जो हमारे मित्र श्री रामानन्द जी ने कहा, इसके अतिरिक्त, कि बिहार में बिजली संकट इतना ज्यादा है कि जितने स्टेट ट्यूबवेल्ट हैं सनी की बिजली लाइन्स काट दीं गयीं हैं। स्टेट ट्यूबवेल्ट की जितनी पूरी पेंमेंट सरकार को करना है। खुद सरकार ने लाइन अपने ही काट दी है। इनके अलावा उन गांवों की जो बिजली के लिये पूरा पेंमेंट कर रहे थे, रेगुलर पेंमेंट कर रहे थे उनकी भी सप्लाय काट दी। इन तरह से खेती और छोटे उद्योग चौपट हो गये हैं। कई माननीय सदस्यों ने जो यह प्रकट किया कि अगर बिजली केन्द्र के मातहत किया जाये तो बहुत अच्छा होगा, तो मैं उनको दाद दिलाना चाहूँगा कि हमारा बिहार, जब भारत आजाद हुआ था तब बिजली के मामले में सारे देश के राज्यों में, जो उस वक्त प्रांत थे, आठवां, नवां स्थान रखता था और अभी हमारा जो पर कैपिटल बिजली का कंप्रेशन है वह सबसे लोएस्ट है। आपके रहते हमारी यही तरक्की हुई है और हमारी इंस्टाल्ड कैपेसिटी भी देश भर में सबसे लोएस्ट है, क्योंकि आप इसकी इंस्टाल्ड कैपेसिटी की स्वीकृति देते हैं। सारे देश में

जो नेशनल एनर्जि प्रति मिलियन व्यक्ति पर है उसमें तो हमारा बिहार, इंस्टाल्ड कपेसिटी में सबसे लोएस्ट है। जब जनता पार्टी को भत्ता था तब कोयलारों प्रोजेक्ट दिल्ली को दिया गया, जब कांग्रेस की सरकार बिहार में बनती उसने भी थह प्रोजेक्ट आपको हाँ दे दिया। 80 से 84 होने पर भी इस योजना के सारम्भ तक होने का काम नहीं है इसलिये केन्द्र को देने में समस्या का निदान नहीं होगा। मैं इस बदलाई पर ज्यादा नहीं जानना चाहता हूँ, समाभाव को देखते हुये लिफ्ट मंत्री महोदय का ध्यान और सदन का ध्यान केवल एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं पिछले महीने हुयी इलेक्ट्रिकल, हाइड्रार गया था। हम सभी जानते है कि मजदूरों के प्रति चाहे जो भी यहां पर ट्रेप भावना प्रकट की गयी हो लेकिन "भेल" भारत का गौरव है और हम आपको कहना चाहे कि अगर "भेल" नहीं रहता तो अभी जो हमने 200 पेगावाट का बिजलीघर स्थापित करने की क्षमता प्राप्त की है वह हम नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी एक नयी घटना घटी है। भारत सरकार ने सम्भवतः आर्थिक संकट के कारण और हाथर टेक्नालाजी के नाम पर विदेशी कम्पनियां को न्याता दे दिया है और उसको ही सारे न्यू आर्डर दिये जा रहे है। हमें "भेल" के आफिसर्स, प्रदन्धको और मजदूरों ने बताया कि सन् ७5 के बाद "भेल" के पास एक भी आर्डर नहीं है जिसको वह एक्जीक्यूट कर सके, पूरा कर सके जबकि "भेल" ने यह दावाति प्राप्त की कि अपने देश के अन्दर ही नहीं बरकि विदेश के अंदर जा कर के बिजली घरो को स्थापित किया है। हाथर टेक्नालाजी के नाम पर—मैं हाथर टेक्नालाजी को खिलाफ नहीं हूँ, अगर आपको मल्ट नेशनलस भी मिलती हो तो आप ले सकते है, मृजे ऐतराज नहीं है—मेरा ऐतराज यह है कि हमारा जो आर० एण्डडी०

बिग है जो उसकी व्यवस्था है उसको बरबाद करके अगर आप विदेशी कम्पनियों को न्याता दे रहे हैं तो इस देश का न्याताण कर रहे है। आपने बिजली के मामले में तो भी आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि वह आत्मनिर्भरता अगले दशक में कही समाप्त न हो जाये, इस तरह का खतरा उत्पन्न हो गया है और "भेल" जैसा कारखाना अगर घाटे में चलने लगेगा, उसको आर्डर नहीं रहेंगे तो आप समझ सकते है कि बिजली के मामले में हमारी आत्मनिर्भरता नहीं हो सकती है, हम आत्मनिर्भर हो नहीं सकते है। ये मल्टीनेशनल कम्पनियां प्रारम्भ में तो हमारी मदद करेंगी लेकिन जब हमारा आर० एण्डडी० डिस्ट्राय कर देंगे तब हम उन पर निर्भर हो जायेंगे और अपने काम को नही बढ़ा सोंगे। इस मामले में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने पहले ही कहा कि मैं हाथर टेक्नालार्जि लेने के पक्ष में हूँ। 6 P.M. लेकिन इस घर्त पर कि हमारी अपनी आर० एण्डडी० बर्बाद नहीं की जाए। वर्तमान स्थिति देखकर अभी आशंका उत्पन्न हो गई है कि अभी हमारी जो आत्मनिर्भरता थी, वह बर्बाद होने के लिये जा रही है और बी० एच० ई० एल० (भेल) जैसा उद्योग घाटे में चला जायेगा। जित माननीय सदस्यों ने कहा कि मजदूर काम नहीं करते है, मैं चाहूंगा कि पंती महोदय सरकार की तरफ से स्पष्ट करें कि अभी सारे देश के अन्दर खानगी सहित जितने भी बड़े-बड़े कल-कारखाने हैं, उनकी क्षमता और दक्षता गंची गयी है, भेल ने उसमे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है और यह मजदूरों के सहयोग से ही सम्भव हो सकता है।

इसलिये सारी बातों के लिये जो मजदूरों को आप जिम्मेदार बताते है, यह उचित

[श्री चतुरानन मिश्र]

नहीं है। फिर भी मैं जानता हूँ जगह व जगह मजदूरों के कर्मों को सुधारने की जरूरत है। बंड वर्कमैनशिप को इम्प्रूव करने के लिये मैं यह चाहूंगा कि जैसे आपने भेल के अन्दर मजदूरों के साथ अच्छे संबंध बनाने की व्यवस्था की है, वैसे ही अगर बिजली बॉर्डर में भी करें, तो हमारा ध्यान है कि ऐसे कामों में मुन्तैरी आ सकती है और अच्छे काम हमारे मजदूर दे सकेंगे।

इसी प्रसंग में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे बिहार के अन्दर जो बिजली बॉर्डर हैं, उनमें हम पतरात थर्मल पावर स्टेशन का जिक्र करेंगे। वहां दो तरह के हमारे टर्बो-प्लांट्स हैं। (समय की घंटी) एक तो जो रजिथन है, वह बहुत पुराने हैं। गये हैं, बीस साल से भी ज्यादा हो गये हैं, फिर भी वह पचास प्रतिशत कैपेसिटी पर काम करते हैं। लेकिन जो भेल में हमने भेजा है, उसमें 25 प्रतिशत क्षमता से भी हम काम नहीं करते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि बिहार की इस स्थिति को देखते हुए, जिसमें बिहार उर्बात में रहा है, भेल के लोगों से कहें कि वह मेट्रो के कामों को और भी ज्यादा मुन्तैरी से देखें और उसकी हालत को अच्छा करे, नहीं तो हम जो बिहार को देख रहे हैं, बिहार टर्बाई को अगर पर है।

हम सरकार से पुनः आग्रह करेंगे कि बिहार में संस्करण भिडरावला के लिए इंतजार नहीं करे, उसके पहले ही हस्तक्षेप करे, ताकि हम बिहार बचा सकें और देश को भी बचा सकें।

इतना ही कह कर के मैं धन्यवाद के साथ अपना भाषण समाप्त करना हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J. P. GOYAL): Now, Mr. Satyanarayan Reddy. Be brief. We have to finish the Bill today. You can speak any number of things. But be brief. We have been given only two hours for this Bill. Of course, I have given more time to some other Members. Do not repeat the points which have already been covered.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): All right. I will not repeat what has been said by the other Members. I will only make three or four points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J. P. GOYAL): Because the time is short, I am requesting you to be brief.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: You have not prevented any other Member from taking more time. But when I begin to speak, you say I should not take more time. I do not understand this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J. P. GOYAL): I myself told you that I have given more time to some other Members. But now the time is short. Please be brief.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Mr. Ramanand Yadav has taken one-hour nearly and you did not say anything.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J. P. GOYAL): I thought he was talking our language. But you are talking like him now. Anyway, be brief.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Why do you tell me all these things and waste my time? Don't tell me all these things and waste my time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J. P. GOYAL): All right. Be brief.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Sir, the scope of the present Bill, the Electricity (Supply) Amendment Bill, 1984, is very limited. There are two

amendments. One amendment is to section 28 of the principal Act and the other is to section 29 of the principal Act. The main point is that through the present amending Bill the sum of Rs. 1 crore fixed in 1948 for some small schemes is being raised to Rs. 5 crores. Even this amount of five crores seems to be very small and I do not think that there will be any difference between one crore and five crores these days. So, I would like the Minister to consider this aspect very carefully and I would like to suggest that this amount should be raised to fifteen crores or twenty crores which, I think, is the minimum and I think that would be a reasonable thing. I do not think the present Bill is comprehensive enough. I want that a comprehensive Bill should be brought forward so that the country could make progress in this field. After all, the aim is to see that electricity generation is adequate and its distribution or supply is proper and the country goes forward.

By bringing this piecemeal legislation I don't think that we are fulfilling or doing justice to anyone. Secondly, the generating companies are authorised to go in for such schemes without obtaining the concurrence of the Central Electricity Authority. Of course, this provision giving more powers to State Electricity Boards is very welcome. I welcome this proposal by the Minister. But at the same time I have to draw his attention to two or three problems besetting the country at present.

The main thing is that most of the projects which are still pending are not completed. There is a long delay in the completion of some of the important projects. The Public Accounts Committee, you might have gone through their Report, said that there are certain projects which have taken 20 to 30 years to complete, whereas they should have been completed in 5 to 10 years. Also, prices have gone up

by 50 to 100 per cent in some cases. So this is the state of affairs. I do not know how we are going to progress at such speed. So I would like to point out to the Minister and the Government that the delay in this regard should be taken seriously and these projects which are essential to the progress of the country should be completed in time.

In this connection I would like to point out here, and I have also in this House so many times stated, that as far as Andhra Pradesh is concerned, all these projects, hydroelectric projects and other important projects should be considered as national projects and all the finances required for these projects should be provided by the Centre. They should not simply depend upon the States for their completion. The Planning Commission and the concerned authorities should see to it that all these projects should be completed in time and no financial excuse should be given. The Finance Minister is here. Sometimes it is said for example, that to the Railway Department the Finance Minister is not granting finance and therefore we are not going ahead with some schemes. In the same way, the hydro-electric projects which are still pending completion should not be held up due to financial difficulties. So we have to take urgent steps to see that all such projects should be completed in time.

So far as Andhra Pradesh is concerned, there are many important projects which need immediate attention. For example, we have drawn the attention of the Central Government on more than one occasion to the fact that the Ichampalli Hydroelectric-cum-irrigation project is there. This requires the constitution of a Board consisting of the representatives of Andhra Pradesh, Karnataka and Madhya Pradesh. The Central Government has not given permission. So far nothing has been done. So due to the non-sanction by the Central Government the project is being held up. No meeting has been held so far. So

[Shri B. Satyanarayan Reddy]

I want that the Central Government and the Minister should take immediate steps to see that this is sanctioned immediately.

Another important hydro-electric projects in Andhra Pradesh is Managuru project, which is pending. We have drawn the attention of the Central Government to this on more than one occasion. No steps have been taken in this regard. Of course, different States have put forth their demands for setting up nuclear hydro-electric projects in their areas. There was one Committee known as Dr. H.N. Sethna Committee set up by Central Government. This Committee has inspected several sites in different States, especially in southern States, and this Committee has also gone to Andhra Pradesh and inspected thoroughly the Nagarjunasagar area. This Committee has come to the conclusion and has submitted a report to the Central Government that the area near Nagarjunasagar in Andhra Pradesh is most suitable for setting up a nuclear project in that area. I do not know what steps the Central Government have taken in this regard. I have raised in this House this question on that occasion and the concerned Minister had stated, and even the Prime Minister had stated, that the report has been submitted. And it is under consideration and I do not know how many years it will take. The State Government is ready to provide all facilities to set up a nuclear project at Nagarjunasagar. I would like to request the hon. Minister that all the important projects which are pending either for grant or sanction or for sanctioning financial aid should be taken into consideration immediately and no further delay should take place. I am not speaking for Andhra Pradesh alone. It may be for Andhra Pradesh, or Tamil Nadu or Karnataka or Bihar or Uttar Pradesh. We are concerned with the whole nation and not simply with one State. All such pending

projects, whichever may be the state, should be completed immediately and the necessary aid should be given by the Central Government to the State Governments so that the country may go ahead.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra):
Mr. Vice-Chairman, Sir, the Electricity Supply Act... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J. P. GOYAL): When a Member speaks, please don't disturb. I think the debate has been going on well. I do not disturb any Member because if I disturb, time is consumed. If you disturb, also time is consumed. It is better to take notes when a Member speaks and then you can reply when your turn comes.

AN HON. MEMBER: Your bell is not working.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI J. P. GOYAL): I may tell the hon. Members that it is a very important matter. You know what happened in Delhi and in four neighbouring States where there was no light due to the failure of thermal power plant at Obra. If the Government does not bring a comprehensive Bill, then what is the use of this 1000 or 500 Kws. This is my view. You can accept it or not. I have a right to express my opinion.

SHRI S. W. DHABE: Mr. Yadav was the champion batsman who criticised the policies of the Government. Therefore, we all support him in his right criticism of the Government. The Rajadhyaksha Committee gave certain findings which are very alarming. The capacity utilisation is 46 per cent. Transmission losses are 21 per cent. Pilferage losses are 23 per cent. There is not even one department of Electricity and Power which is working efficiently. The result is that power projects were not completed on schedule. There is no location policy. The

policy which has been settled by the Government for captive power stations is not being followed. In my State, in spite of the opposition of the citizens of Bombay, a thermal power station of 500 MW has been given to Tata. The coal comes from a distance of 500 miles from Vidharbha area. This power station should have been located at Vidharbha. In spite of the opposition by the citizens of Bombay, the Government is insisting on having the powers station at Bombay against the location policy for captive power stations. The coal belt for that thermal power station is in the Vidharbha-Nagpur area. Secondly, I find from the Rajadhyaksha Committee report what the failures of the thermal power policy are. The reasons are given at page 10, it says: "In short, the power shortages during the last decade can be attributable to three major factors." They are: Delays in implementation of projects, inadequate investment in transmission and distribution system, and lack of integrated approach in the operation of the regional grids and over-utilisation of thermal generation capacity. For these three reasons, he has given a number of recommendations and he has suggested the overhauling of the Electricity (Supply) Act. Though the Electricity (Supply) Act was made in 1948, a few amendments have been made. The major amendments which are required under Sections 5 and 16 are not carried out. State Electricity Boards today consist of 3 to 7 members. Out of two, one is an electrical engineer and the other is an accountant. There is no representation of labour, there is no representation of the consumer on the State Electricity Board. The result has been that we have a small committee of three to four persons in whom all economic powers are concentrated, all administrative powers are concentrated. At least, today the position is that unless the number is increased to 15—that is the view of the Experts Committee—this Electricity Board will not be able to function effectively. Similarly, under Section 16 of the

Act, the labour is put in the Consultative Committee. They have no powers. Now, you are talking of participation of labour in management in important industries, in public sector units. Why are you not amending Section 5 of the Act where by the labour can be represented in the management of the Boards and the Boards can be made effective instruments?

Sir, I do not want to go into all the recommendations of the Rajadhyaksha Committee. But this is one important sector which affects the whole life. And if we want quick economic and social changes in our country, there is no other method except through speedy generation of power. In this vital sector, the major decision which the Government has to take is what is the policy that they should pursue. Sir, in China, for the thermal power stations, charcoal is the raw material. Coal is not a renewable resource and it is bound to be exhausted in future, in some years. In China they have introduced a system whereby they have got small power stations of 100 MW depending upon forestry and on wood. And the scheme is successful and they have a number of power stations there. Now, we are thinking of super thermal power stations. For the super thermal power stations, the main thing that we are lacking is that we have not got the equipment with which we can install capacity having 5,000 or 10,000 MW in super-thermal power stations.

Sir, in reply to my Unstarred Question No. 729, dated 30th July, 1984, it has been stated that in the Chandrapur super thermal station which is located at Chandrapur in Maharashtra State, the capacity is going to be 3,500 MW. The Government is going to call for global tenders. This policy of the Government to call global tenders for equipment was opposed in this House. When we have got the Bharat Heavy Electricals which is manufacturing the equipment for 210 MW for power stations,

[Shri S. W. Dhabe]

why cannot they manufacture the equipment for 500 MW? And if 500 MW equipment cannot be manufactured in the Bharat Heavy Electricals, is it not proper for the Government to have power stations which will have only 210 MW? Now, here, in the global tenders, foreign contracts and foreign commissions and pilferage and all the things come in the way of proper implementation of the super thermal power stations. Therefore, I would like to have an assurance from the Minister that they will not import any equipment for the erection of the power generation plants and that they will only give the orders to the Bharat Heavy Electricals which has got enough world reputation. They have the standard equipment and they can manufacture it. If the indigenous capacity is not utilised and if we allow the power sector, then the floodgates of corruption will be opened and it will be harmful to our country. Sir, the last question which I would like to know from the hon. Minister is what is the Government's policy in regard to the employment of large labour. These power stations are employing casual labour in large numbers on construction. The Central Electricity Authority has got one proposal which is called the regional power corporation. They are constructing the super thermal stations in Madhya Pradesh and power will be shared between three or four States. Now there is no agency with the Central Government for the supply of power. Either they will have to go to the State Electricity Boards of Madhya Pradesh or Maharashtra, which will not be possible if there is more than one State involved. There is no single machinery for the supply of electricity now under the Central Electricity Authority. The Act also does not provide for the regional power corporations which will be not like the State Electricity Boards for more than one region. We are spending huge money in investment. Why is the Government

not coming up with an amendment to have regional power corporations which will be covering more than one State and which can manage the supply of power to more than one State through super thermal power stations. These are the new problems coming up. I am sorry to say that in both the Houses we have devoted five to six hours on this matter and we have seen that a number of problems are there to which the Government is not paying any attention. This was the occasion when all amendments could have been brought forth and the Government could have taken power to itself in a general way that the Government can decide from time to time what should be the limit instead of saying that it will be Rs. 5 crores. As you have rightly said, Sir, this is an important sector where the interest of the whole nation is involved. The Government should, in fact, have a national power policy which will be effective and useful to our country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J. P. GOYAL): Shri V. Gopalsamy, not here. Yes, Shri Kar.

श्री गुलाम रसूल कार (नाम-निर्देशित): वाइस चेयरमैन साहब, यह एक छोटा सा अमेंडमेंट है जिस पर काफी बहस हो गयी और इसमें बहुत सी बातें कही गयी हैं। अगर पावर के बारे में दिन भर बहस की जाय और पावर की कमी और उसकी जरूरत को महसूस करते हुये पावर के लिये पांच साला योजना की जगह 20 साला योजना तर्तीब दी जाय तभी जाकर हमारा मुल्क पावर के मामले में खुद मुख्तार हो सकता है। जहाँ खुराक, पानी, हवा, सोपड़ी इंसान के रहने के लिये जरूरी है वहाँ जिन्दगी के इस नये दौर में बिना पावर के जिन्दा रहना आज कल के जमाने में मुश्किल दिखाई देता है। पावर का फायदा यह है कि हमारे कारखाने, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और बाकी तमाम तरह की पैदावार इसी पर मुनहसिर है। फर्टिलाइजर है या छोटी मशीनें है या लिफ्ट

इरिगेशन है, इन सबका दारोमदार पावर पर है ही। दुनिया के बड़े लोगों ने कहा था कि तरक्की के लिये दो चीजों की जरूरत है। एक तो आबादी और दूसरी पावर। आबादी तो खुदा ने हमको काफी दे रखी है और हमको उसे कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन पावर के बारे में यह खयाल करना कि पावर पूरी हो सकती है सही नहीं होगा। उसके बाद भी हमारी जरूरत बढ़ेगी। हर साल आप की पावर की जरूरत बढ़ेगी। आप अपने बारखानों को पावर न दें या झीपड़ों में बिजली के बल्ब न जलायें यह नहीं हो सकता और अगर ये सब हो जाय तो उसके बाद भी दस परसेंट पावर की डिमांड बढ़ती चली जाती है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसके लिये बीस साला योजना बनायी जाय। आप अरदजा लगायें कि 20 साल में मुल्क में कितनी पावर की जरूरत है। अगर आप देखें कि कैपिटा हमारी पर जनरेशन कैपेसिटी क्या है, मेरा खयाल है सौ डेढ़ सौ के आलावा न होगी। लेकिन अगर आप अपनी पर कैपिटा कंजंप्शन को यूरोपियन मुल्कों के कंजंप्शन को सामने रखें जहाँ 7 हजार यूनिट तक पावर का पर हैड कंजंप्शन पहुंच चुका है, तो इससे जाहिर होगा कि हम तरक्की के मैदान में बहुत पीछे हैं, पावर के बारे में बहुत पीछे हैं। यहाँ पावर पैदा करने के दो ही तरीके हैं, टू-टायर सिस्टम है—मरकजी प्रोजेक्ट है और रिसायती प्रोजेक्ट हैं। रिसायती प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने स्टेट पावर डेवलपमेंट बोर्ड को एक करोड़ के बजाय 5 करोड़ के अख्तियारात दिये। यह अच्छी बात है। . . . (ध्वनि)। लेकिन पावर की स्कीम में कैसे इंप्लीमेंट हों, उसके लिये आपको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिये। आपके बारखाने, आपके फर्टिलाइजर यूनिट, आपके ऐग्रिकल्चरल प्रोडक्शन, हर तरह का प्रोडक्शन चाहे कपड़े की हो, मैडिसिन की हो, घर में बरफ की हो, चूल्हे की हो, पावर की इसी जरूरत हमारे यहाँ पैदा हो गई है कि

अगर गांवों में इसके लिये हिरसे पैदा हो गयीं कि पावर के फायदे क्या हैं तो आपको शहरों से बिजली काटकर गांवों को देनी पड़ेगी।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन का बजट में लाये हैं। ऐसे हजारों गांव हैं जहाँ पावर या बिजली लोगों को लैम्प जलाने के लिये भी नहीं मिली है। जरूरत इतना बतती है कि पावर को टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिये। मैं मसूमा करता हूँ कि इन बारे में मरकजी सरकार की सेरियसनेस बहुत कम है। हमारे यहाँ पावर के प्रोजेक्ट हैं। हमारी रियासत बहुत मामलों में पिछड़ी हुई है। मियानत में भी और दूसरे मामलों में भी पिछड़ी हुई है। हर मामले पर काश्मीर का तजक़रा होता है। हमारे यहाँ कोयला नहीं, गैस नहीं, लेकिन हमारे पास पानी इतना है कि हम काफी पावर जेनरेट कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि मरकजी सरकार ने भी जो प्रोजेक्ट हाथ में लिये हैं उनको आज तक मुकम्मिल नहीं कर पाई। हमारे यहाँ सलाल प्रोजेक्ट है। दूनहात प्रोजेक्ट है, मरकजी सरकार के पास। 1970 में वह शुरू हो गया था और 1987 में उसको पूरा होता था। इसका उस समय ऐस्टिमेट 50 करोड़ का था, जो अब बढ़ कर 400 करोड़ हो गया है। वह 1987 में भी मुकम्मिल नहीं होगा जिससे कि 700 मैगावाट बिजली पैदा होगी। जहाँ इन किस्म का रोज़ाना हो, पावर जेनरेशन की तरफ कम तबज़ह हो तो मुल्क की माकूल तरक्की रहेगी। इसी तरह दूनहात प्रोजेक्ट मरकजी सरकार ने अपने हाथ में लिया है। आज तक अस्थायी तौर पर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मकानात की हो, लेकिन टनल के सिलसिले में कोई पैना इवैस्ट नहीं किया, मशीनरी के लिये कोई पैना इवैस्ट नहीं किया गया। उड़ी प्रोजेक्ट जो कि कंदी में एक चीपर प्रोजेक्ट है, जहाँ पावर पैदा होगी, पानी से सस्ती पावर पैदा होगी, 500 मैगावाट की वह तमाम पावर स्टेशन

[श्री गुलाम रमूल कार]

अंडरग्राउंड होगा, उस प्रोजेक्ट की क्लियरेंस मरकजी सरकार ने भी, लॉनिंग कमीशन ने भी दी, लेकिन आज तक मरकजी सरकार ने उड़ी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में नहीं लिया। हालांकि रियासती सरकार कहती है कि इसको ले लीजिये। अगर कोई खगड़ बनी हुई है तो इसके लिये दो बातें हैं जो मैं महसूस करता हूँ। यहां मरकजी सरकार को फेस करनी पड़ती है। मैंने अर्ज किया कि यहां दो टीयर सिस्टम है। आपको सोचना है कि 100 मेगावाट के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो आपने इस विषय से रियासतों को मुतमइन करना चाहिये कि इस तरह का प्रोजेक्ट मरकजी सरकार अपने हाथ में ले ले। अगर आपके पास सोर्स नहीं हैं और उनके पास सोर्स होते भी नहीं हैं क्योंकि उनको खोल खोलना होता है, सड़क बनानी होती है और दूसरे काम करने होते हैं। अगर पावर पैदा करने के लिये हम अपने बजट के प्लान में पैसा नहीं रखते तो नतीजा क्या निकलता है, आप जानते हैं। तमाम मुल्क को पावर के सिलसिले में मुकसान उठना पड़ता है। आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है और आपका प्रोडक्शन जब कम हो जाये तो आपके फारेन एक्चेंज पर असर पड़ता है। अगर मरकजी सरकार पर इतने सोर्स नहीं हैं और अगर बाहर के लोग पैसा यहां लगाने के लिये तैयार हैं तो हमें इस बात में कोई चिंता नहीं करनी चाहिये। मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये पावर को जरूर बढ़ाना है। डिफेंस प्रोडक्शन का सवाल नहीं है, हवाई जहाज पैदा करने की बात नहीं है, हमें पावर ज्यादा से ज्यादा पैदा करनी है। इस सिलसिले में अगर बाहर का पैसा इवैस्ट होता है तो उसके काम लेना चाहिये। लेकिन मैं आप से यह गुजारिश करूंगा कि एक जॉनल सिस्टम ग्रिड का बनना चाहिये। पूरे मुल्क को एक तन्जो में पावर में जोड़ देना चाहिये। अगर किसी जगह साउथ में पावर की आर्टेंज हो जाए तो तारों में

पावर दी जाए, अगर ईस्ट में आर्टेंज हो जाए, तो उसको वेस्ट से पावर दी जाए। यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा ही होता है। अगर यहां किसी रियासत में पावर बन हो जाए तो दूसरी रियासत से पावर लेकर दी जाती है। अपने 22 स्टेट के लिये एक ग्रिड बना दीजिये। इन 22 स्टेटों को एक नेशनल ग्रिड में जोड़ दीजिये। पावर जहां भी ज्यादा हो उससे दूसरे मुल्क, दूसरी रियासत की जरूरत को पूरा किया जाए। मैं महसूस करता हूँ कि अगर पावर के सिलसिले में आपने कहीं कोई कोटाही बंती तो मुल्क की तरक्की रुक जाएगी, अन-एम्प्लायमेंट बढ़ जायेगी। अगर आप उसको रोक सकेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, बेरोजगारी कम हो जायेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। तमाम तरक्की मुल्क की पावर की बुनियाद पर निर्भर है। मैं इन तर्जुमिन की पुरजोर तारीफ करता हूँ कि 5 करोड़ से 10 करोड़ होना चाहिये। यह एक अच्छा काम है। इनकी तारीफ की जानी चाहिये। दूसरा कदम जो है उसको बढ़ाने के लिये इनको होशियार किया जाए। लेकिन हमारे मेम्बरों ने यह कहा कि यह गलत काम होगा क्योंकि लोग पैसा खा जायेंगे। मैं माना मुतमइन नहीं हूँ। यह रियासती सरकारों के हाथ में है तो मरकजी सरकार को क्यों कहा जाता है। इन्हीं अरकाजों के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ।

[شوری غلام رسول کار (نامزد) :

جناب رئیس چیئر مین صاحب -
 یہ ایک چھوٹا سا امینڈمنٹ ہے جس پر کافی بحث ہو گئی اور اس میں بہت سی باتیں کہی گئیں ہیں۔ اگر پارلیمینٹ کے بارے میں دن بھر بحث کی جائے اور پارلیمینٹ کی کمی اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پارلیمینٹ کے پاس سالہ یوجنا

کی جگہ ۲۰ سالہ یوجنا ترتیب دی جائے تبھی جا کر ہمارا ملک پارو کے معاملے میں خون منگوار ہو سکا ہے۔ جہاں خوراک - پانی - ہوا - جھونپہی - انسان کے رھنے کے لئے ضروری ہے وہاں زندگی کے اس لئے دور میں بلکہ پارو کے زندہ رہنا آج کل کے زمانے میں مشکل دکھائی دیتا ہے۔ پارو کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گارخانے - ہمارا ایگریکلچر سیکٹر اور باقی تمام طرح کی پیداوار اسی پورے ماحول پر ہے۔ فوٹو لائٹ ہے یا جھونپہی مشینیں ہیں یا لکٹ اریگیشن ہے ان سب کا دارو مدار پارو پر ہی ہے۔ دنیا کے بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ ترقی کیلئے دو چیزوں کی ضرورت ہے - ایک تو آبادی اور دوسری پارو - آبادی تو خدا نے ہم کو کافی دے رکھی ہے اور ہم کو اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پارو کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ پارو پوری ہو سکتی ہے - صحیح نہ ہوگا - اس کے بعد بھی ہماری ضرورت بڑھے گی - آپ اپنے گارخانوں میں پارو نہ دیں یا جھونپوں میں بجلی کے بلب نہ جائیں یہ نہیں ہو سکتا اور اگر یہ سب ہو جائے تو اسکے بعد بھی دس برسینک کی تیلانہ بڑھتی چلی جاتی ہے - لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اسکے لئے ۲۰ سالہ یوجنا بنائی جائے۔

آپ اندازہ لگائیں کہ ۲۰ سال میں ملک میں کتنی پارو کی ضرورت ہے اگر آپ دیکھیں کہ پورے کیمپٹا ہماری جنریشن کیمپسٹی کیا ہے میرا خیال ہے سو فیصد سو کے علاوہ نہ ہوگی - لیکن اگر آپ اپنی پورے کیمپٹا کنزیشن کو یورپین ملکوں کے کنزیشن کو سامنے رکھیں جہاں ۷۰۰۰ یونٹ تک پارو کا پورے کیمپٹا کنزیشن پہنچ چکا ہے - تو اس سے ظاہر ہوگا کہ ہم ترقی کے میدان میں بہت پیچھے ہیں - پارو کے بارے میں بہت پیچھے ہیں - یہاں پارو پیدا کرنے کے دو ہی طریقے ہیں - تو تیار سسٹم ہے مرکزی پروجیکٹ ہے اور ریاستی پروجیکٹ ہیں - ریاستی پروجیکٹ کے بارے میں آپ نے اسٹیٹ پارو توبو میڈٹ بورڈ کو ایک کروڑ کے بجائے پانچ کروڑ کے اختیارات دیئے - یہ اچھی بات ہے..... (مداخلت)..... لیکن پارو کی اسکیمیں کیسے اسٹیٹ میڈٹ ہوں اسکیمیں آپ کو پورا وریٹی دیملی چاہئے - آپکے گارخانے آپکے فوٹو لائٹ یونٹ - آپکے ایگریکلچرل پروجیکشن - ہر طرح کا پروجیکشن چاہے کپڑے کی ہو - میڈیسن کی ہو - گھر میں کڑھ کی ہو - چولہے کی ہو - پارو کی اتنی ضرورت ہمارے یہاں پیدا ہوگئی ہے کہ گر گاؤں میں اسکے لئے یہ شعور پیدا ہو گیا کہ پارو کے فوائد کیا ہیں تو آپ کو شہروں میں بجلی کٹ کر گاؤں کو دینا پڑیگی -

[شہری فلام رسول کار]

روزل الیکٹریسیٹیکیشن کارپوریشن
آپ وجود میں لئے ہیں۔ ایسے
ہزاروں گاؤں ہیں جہاں جہاں پاور
یا بجلی لوگوں کو لینے چلانے
کیلئے بھی نہیں ملی ہے۔ ضرورت
اس بات کی ہے کہ پاور کو تپ
پرائیویٹی مانی چاہئے۔ میں
محسوس کرتا ہوں کہ اس بارے
میں مرکزی سرکار کی سیریس نیس
بہت کم ہے۔ ہمارے یہاں پاور کے
پروجیکٹ ہیں۔ ہماری ریاست
بہت معاملوں میں پچھڑی ہوئی ہے۔
سیاست میں بھی اور دوسرے معاملوں
میں بھی پچھڑی ہوئی ہے۔ ہر
مسئلہ پر کشمیر کا تذکرہ ہوتا ہے۔
ہمارے یہاں کوئلہ نہیں۔ گیس نہیں۔
لیکن ہمارے پاس پانی اتنا ہے کہ ہم
اچکی پاور چارپیت کر سکتے ہیں۔
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مرکزی
سرکار نے بھی جو پروجیکٹ ہاتھ
میں لئے ہیں انکو آج تک مکمل
نہیں کر پائی۔ ہمارے یہاں سلا
پروجیکٹ ہیں۔ دونوں ہاتھ
پروجیکٹ ہیں مرکزی سرکار کے پاس۔
۱۹۷۰ میں وہ شروع ہو گیا تھا اور
۱۹۸۱ میں اسکو پورا ہونا تھا۔
اسکا اسوقت اسٹیمیٹ ۵۰ کروڑ کا
تھا جو اب بڑھکر ۲۰۰ کروڑ ہو گیا
ہے وہ ۱۹۸۷ میں بھی مکمل نہیں
ہوگا جس سے کہ ۷۰۰ میگاواٹ بجلی
پیدا ہوگی۔ جہاں اس قسم کا
رجسٹر ہو۔ پاور جنریشن کم

طرف کم توجہ ہو تو ملک کی
معقول ترقی رکے گی۔ اسطرح
دونوں ہاتھ پروجیکٹ مرکزی سرکار نے
اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ آج تک
استھانی طور پر وہاں پر کنسٹرکشن
مکانات کی ہو۔ لیکن تیل کے
سلسلے میں کوئی پیسہ انویسٹ
وہاں نہیں کیا۔ ششدری کھلے
کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کیا گیا۔
آزی پروجیکٹ جو کہ کئی مہینوں
ایک چھپر پروجیکٹ ہے۔ جہاں
پاور پیدا ہوگی۔ پانی سے سستی
پاور پیدا ہوگی۔ ۵۰۰ میگاواٹ کی
وہ سستا پاور اسٹیشن انڈر گراؤنڈ
ہوگا۔ اس پروجیکٹ کی کلیمز
مرکزی سرکار نے بھی۔ پلاننگ
کمیشن نے بھی دی۔ لیکن آج تک
مرکزی سرکار نے آزی پروجیکٹ کو اپنے
ہاتھ میں نہیں لیا حالانکہ ریاستی
سرکار کہتی ہے کہ اس کو لے لیجئے۔
اگر کوئی روکاوٹ بنی ہوئی تو اسکی
لئے دو باتیں ہیں جو میں محسوس
کرتا ہوں۔ یہاں مرکزی سرکار کو
فہم کرنی پڑتی ہے۔ میں نے عرض
کیا کہ یہاں دو تھر سسٹم ہے۔ آپکو
سوچنا ہے کہ ۱۰۰ میگاواٹ کے اوپر
کوئی پروجیکٹ بدلتا ہے تو آپ کو
اس قسم سے ریاستوں کو مطمئن کرنا
چاہئے کہ اس طرح کا پروجیکٹ
مرکزی سرکار اپنے ہاتھ میں لے لے۔
اگر اپنے پاس سورش نہیں ہیں اور
ان کے پاس سورش ہوتے بھی نہیں

ہیں کیونکہ ان کو اسکول کھولنا ہوتا ہے - سرکھیں بنانی ہوتی ہیں اور دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں - اگر پارور پیدا کرنے کے لئے ہم اپنے بجٹ میں ملان میں پیسہ نہیں رکھتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ جانتے ہیں - تمام ملک کو پارور کے سلسلہ میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے - آپ کا پروڈکشن کم ہو جاتا ہے اور آپ کا پروڈکشن جب کم ہو جائے تو آپ کے فارن ایکسچینج پر اثر پڑتا ہے - اگر مرکزی سرکار پر اتنے سروسز نہیں ہیں اور انٹر باہر کے لوگ پیسہ یہاں لکانے کے لئے تیار ہیں تو ہمیں اس بات میں کوئی چننا نہیں کرنی چاہئے - ملک میں پروڈکشن بڑھانے کے لئے پارور کو ضرور بڑھانا ہے - ڈیپاس پروڈکشن کا سوال نہیں ہے - ہوائی جہاز پیدا کرنے کی بات نہیں ہے - ہمیں پارور زیادہ سے زیادہ پیدا کرنی ہے - اس سلسلے میں اگر باہر کا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے تو اس کو کر لینا چاہئے - لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک زونل سسٹم گورنر کا بلدا چاہئے پورے ملک کو ایک نقشہ میں پارور میں جوڑ دینا چاہئے - اگر کسی جگہ سائٹ میں پارور کی شارتیج ہو جائے تو اس کو ویسٹ سے پارور دیجائے - ہیریون کنٹریز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے - اگر وہاں کسی ریاست میں پارور کم ہو جائے تو دوسری ریاست سے پارور لے کر دی

جاتی ہے - آپ ۲۲ اسٹیم کے لئے ایک گورنر بلدا دیجئے ان ۲۲ اسٹیم کو ایک نیشنل گورنر میں باندھ دیجئے - پارور جہاں بھی زیادہ ہو اس سے دوسرے ملک - دوسری ریاست کی ضرورت کو پورا کیا جائے - میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر پارور کے سلسلے میں آپ نے کہیں کوئی کوتاہی برتی تو ملک کی ترقی رک جائے گی - ان امپلائمنٹ بڑھ جائیگی - اگر آپ اس کو روک سکیں گے تو ملک ترقی کرے گا - بے روزگاری کم ہو جائیگی - پروڈکشن بڑھے گی - تمام ترقی ملک کی پارور کی بلدا پر نہر ہے - میں اس ترمیم کی پرواز تائید کرتا ہوں کہ ۵ کروڑ سے ۱۰ کروڑ ہونا چاہئے - یہ ایک اچھا قدم ہے - اسکی تعریف کی جانی چاہئے - دوسرے قدم جو ہیں اس کو بڑھانے کے لئے ان کو ہوشیار کیا جائے - لیکن ہمارے محبوں نے یہ کہا کہ یہ غلط کام ہوگا کیونکہ لوگ پیسہ کھا جائیگی - میں اس سے مطمئن نہیں ہوں - یہ ریاستی سرکاروں کے ہاتھ میں ہے تو مرکزی سرکار کو کیوں کہا جاتا ہے -

انہیں الفاظوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں -]

श्री आरिफ मुहम्मद खान : उप-सभाध्यक्ष महोदय, इसे संशोधन पर चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों ने

[श्री आरिफ मोहम्मद खान]

स्वयं कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य बहुत सीमित था। लेकिन बिजली अपने आप में ऐसा विषय है जिसको शांतिद कोशिश के बावजूद सीमित उद्देश्य के साथ यह संशोधन लाया गया। माननीय सदस्य अपनी भावनाओं को सीमित न कर सकें। और वह चर्चा लम्बी होती चली गई। जो जो विषय वहां उठे गये हैं उसमें पहली बात तो यह है कि बार-बार यह कहा गया कि कम्परी हैसिव बिल लाया जाना चाहिये था, पर्सनल लेजिस्लेशन नहीं लाना चाहिये था। माननीय उपसभाध्यक्ष जी आपने भी आवजरखेशन दिया कि देश में क्या बिजली की हालत है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अकेले कम्परी हैसिव लेजिस्लेशन लाने से बिजली की हालत नहीं सुधर जायेगी। बिजली की हालत को सुधारने के लिये योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है, किया जा रहा है। बिजली के उत्पादन की क्षमता आजादी के बाद 1000 मेगावाट थी। आज छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 43 हजार मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता देश के पास होगी। यह संशोधन जैसा मैंने पहले निवेदन किया, बहुत ही सीमित उद्देश्य से लाया गया है। यह सीमित उद्देश्य भी व्यावहारिक कठिनाई को ध्यान में रख कर लाया गया है। रोजमर्रा के काम में हमने जो कठिनाई महसूस की जिसकी वजह से प्रदेश सरकारों और प्रांतीय सरकारों को तुरफ से केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया गया उसको ध्यान में रख कर लाया गया है। एक और गलतफहमी में आपके माध्यम से दूर करना चाहता हूँ। सन् 1948 में यह सीमा एक करोड़ नहीं थी। सन् 1948 में यह सीमा केवल 50 लाख रुपये थी जिसको सन्

1956 में बढ़ाकर एक करोड़ किया गया और अब सन् 1984 में इसको बढ़ाकर पांच करोड़ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भी जैसा मैंने पहले निवेदन किया, हमने नियोजित विकास का रास्ता अपनाया है। नियोजित विकास के रास्ते का मतलब यही है कि हेफवर्ड डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, प्लान्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। जहां एक जगह बैठकर हम योजना बना सकें, वहां हमें पूरे देश के विकास कार्यों के बारे में जानकारी रहे। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास अगर मंजूरी हासिल करने के लिए प्रदेश सरकारें अपनी प्रोजेक्ट्स लेकर आती हैं तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का काम उसमें बाधा डालना नहीं है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का काम है टैक्नीकल आधार पर विशेषज्ञ राय जो हो सकती है उसको वह दे। लेकिन यह खाली थर्मल और हाइडल प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए या नई योजनाएं लगाने के लिए यह प्रावधान नहीं है। जो पुरानी प्रोजेक्ट्स हैं, पुराने बिजली उत्पादन करने वाले युनिट्स हैं, उनमें कहीं कोई मोडरेनाइजेशन का काम हो सकता है, कहीं रिनोवेशन का काम हो सकता है और अगर उसका खर्चा एक करोड़ के ऊपर तक का है तो प्रदेश सरकारों को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास आना पड़ेगा। ऐसे तमाम खर्चे जो पांच करोड़ रुपये तक की सीमा में पुरे हो सकते हैं उसके लिए अब प्रदेश सरकारों को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास आना नहीं पड़ेगा। इसका एक आशय और भी है। आज से 20 साल या 25 साल पहले मिनी माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स की कोई स्कीम नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। लेकिन इस वक्त 55 प्रोजेक्ट्स हैं जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के विचारार्थीन हैं। ये सब पन बिजली बनाने वाले छोटे छोटे युनिट्स हैं जो किसी गांव में, कहीं तालाब के किनारे

या किसी झरने के किनारे लगाये जा सकेंगे। ये जो 55 प्रोजेक्ट्स सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मामले विचारार्थ हैं इनमें से 36 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कीमत पांच करोड़ रुपये तक हो सकती है। मैं समझता हूँ कि उधमें भी प्रदेश सरकारों को बहुत आसानी हो जाएगी। तो केवल यही उद्देश्य इस मंशोधन का है। श्री रेड्डी भावब चले गये। राजाना यहाँ पर केन्द्र और प्रदेश सरकारों के अधिकारों का सवाल उठाया जाता है। लेकिन यह ऐसा मामला है जहाँ पर प्रदेश सरकारों की व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ाया है। अब वे अपनी मर्जी से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास पंजुरी के लिए मंत्री आएँ और पांच करोड़ रुपये तक का खर्च खुद कर सकेंगे। हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर रोज रोज तो बढ़ाने का मौका नहीं आता है। अगर कोई मंशोधन लाया जाता है तो उसका मकसद कानून को बदलना नहीं होता है। हम समझते हैं कि हमारा कानून इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम कहीं किसी प्रावधान को बदलने के लिए आएँ तो उसका मतलब यह नहीं होता है कि पूरे एक्ट को ही बदल दिया जाय। हमारा एक्ट भी ठीक काम कर रहा है। किन्तु इसकी इजाजत लेने के लिए हम आपके पास आए हैं, यह आपकी मर्जी है कि यह अधिकार यदि आप सरकार को देना चाहते हैं कि जितनी चाहे इसकी सीमा बढ़ाते रहे तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा। माननीय सदस्य प्राइवेट मेम्बर बिल के जरिए से यह काम कर सकते हैं। मैं उनका स्वागत कर लूँगा। अब श्रीमन्, इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विषय कहे गये हैं जो ज्यादातर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हैं। ऐसे अलग अलग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स

विभिन्न प्रदेशों में जो हैं, उनके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है। श्रीमन्, इसके बारे में कायदे के अनुसार अग्रिम सूचना की आवश्यकता है, लेकिन जो कुछ सूचना मेरे पास उपलब्ध है, मैं माननीय सदस्यों को दूँगा और जो सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं इजाजत-चाहूँगा कि ऐसी सूचना जो कि प्रदेश सरकारों के मुत्तलिक है, वह वाद में उनसे दिलवा दूँगा।

श्रीमन्, एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर बिजली का विकास, उसका उत्पादन और वितरण यह सब प्रदेश सरकारों के अधिकार क्षेत्र का काम है तथा सब प्रदेश सरकारों ने यह काम किया है। लेकिन प्रदेश सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने भी, जब इसको कान्फरेन्स लिस्ट में लिखा गया, सेंट्रल सेक्टर में लिखा गया तो बिजली के उत्पादन का प्रावधान किया और सेंट्रल सेक्टर में बिजली का कारखाने लगाये गये। यहाँ माननीय सदस्यों की तरफ से शिकायत की गई और कहा गया कि देर बहुत लगती है। कांटी प्रोजेक्ट को लेकर माननीय रामानन्द यादव जी ने कहा कि एन०टी०पी०सी० वाले देर बहुत लगाने हैं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि मुझे विश्वास है कि किसी गलतफहमी की वजह से यह आरोप शायद उन्होंने लगा दिया है। लेकिन यह जानकारी मिलने के बाद माननीय सदस्य को खुशी होगी कि एन०टी०पी०सी० का काम होने के बाद एक भी प्रोजेक्ट एन०टी०पी०सी० का ऐसा नहीं है जो निश्चित समय के बाद कमीशन किया गया हो। एन०टी०पी०सी० के सारे प्रोजेक्ट या तो निश्चित समय पर कमीशन किये गये हैं या निश्चित समय के पहले कमीशन किये गये हैं। एन०टी०पी०सी० ने एक

[श्री आरिफ मूहम्मद खान]

बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कमीशन करके इसमें अपना एक रिकार्ड बनाया है। एन० टी० पी० सी० की ऐसी भी यूनिट है, अभी माननीय सदस्य शायद वे चले गये, गुजरात के सदस्य कह रहे थे कि जो प्राइवेट कारखाने हैं उनका प्लांट लोड फैक्टर बहुत अच्छा है। रेनू सागर की बात कुशवाहा जी ने की थी। रेनू सागर का जो कारखाना है उसका बहुत अच्छा प्लांट लोड फैक्टर है। लगभग 93 फीसदी है। मैं माननीय कुशवाहा जी को श्रीमन् आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एन० टी० पी० सी० की एक यूनिट ने 102 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर दिया है, सिंगरीली में। अकेले एन० टी० पी० सी० की उन यूनिट ने किया। विजयवाड़ा में 79.1 प्रतिशत, नेवेली में 73 प्रतिशत, पर्ली में 75.3 प्रतिशत, धुवारन में 75.3 प्रतिशत, ये निश्चित ही प्रभावित करने वाले आंकड़े हैं। ये सब सार्वजनिक क्षेत्र में चलने वाले बिजली के कारखाने हैं। माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह

भेक्टर को फायदा मिलता है तो सार्वजनिक क्षेत्र वाले फायदे में क्यों नहीं चल सकते। श्रीमन्, एक फर्क जरूर है। रेनू सागर कारखाना कंपनियों के लिये, उद्योगों के लिये निर्फ बिजली बनाता है। प्राइवेट कारखाने उन बड़े बड़े इलाकों, जगहों पर, बम्बई जैसे बड़े शहरों, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों की निजी की प्रान्सपरायिटी को पूरा करने के लिये, वहां के उद्योगों को बिजली देने के लिये प्राइवेट भेक्टर के कारखाने चल रहे हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा अगर वे इनमें आने को तैयार हों। अगर ये ग्रामीण क्षेत्र के लिये विद्युत का उत्पादन करेंगे और फिर ये फायदे में चलेगे तो हम उनका बहुत स्वागत करेंगे। लेकिन उस

क्षेत्र के विकास के लिये सरकार को वहां जाना पड़ता है और वहां पर बिजली में नुकसान उठाना पड़ता है और यह इसलिये कि वेल फैयर स्टेट यह हमारा आदर्श है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये नुकसान उठाकर भी उस काम को पूरा करने का प्रयास करते हैं। मेरे कहने का मतलब और कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एफिशियेंसी या दक्षता यह केवल निजी क्षेत्र के लोगों की सम्पत्ति नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे इंजीनियर अपनी क्षमता में, अपनी योग्यता में किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने जो शानदार काम करके दिखाया है, तमाम विकसित देशों के साथ तुलना की गई, मैं नहीं जानता हूं कि वे विकसित देश जब विकास के दौर के शुरू के पहले के 30 वर्षों में थे, उस समय उनके यहां क्या हालत थी। लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारी छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में, 30 वर्ष में इसलिए कहा क्योंकि योजनाबद्ध विकास का 30वां वर्ष है, छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक मैं समझता हूं कि हमारी जो उपलब्धियां हैं वे निश्चय ही हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भले ही नहीं लेकिन समुष्टि देने वाली हैं, हमें प्रोत्साहित करने वाली हैं, हमें अपने काम को और तेज बढ़ाने के लिए बल देने वाली हैं, हमें हमारी अपनी क्षमता योग्यता में विश्वास दिखाने वाली हैं। हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियन, हमारे वैज्ञानिक...

श्री सुशील चन्द्र महन्त : अभी रामानन्द जी ने कहा कि एक घंटा भी बिजली नहीं मिलती है उनके लोगों को, मैं कहता हूं आप उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमान्, मैं पहले आपकी बात का जवाब दे देता हूँ । मैं पहले माननीय महन्त साहब की बात का जवाब दे देता हूँ उसके बाद मैं रामानन्द जी का जवाब दे दूंगा । (व्यवधान) मेरे ख्याल से यहाँ गई बातें आपने वहीं और सवाल उठाए थे उसी के सिलसिले में मैंने यह जवाब भी दिया । नापथा झज्झी नगर के बारे में भी कहा था, मेरे पास सब सूचना है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं माननीय महन्त साहब को बताना चाहूंगा कि कभी कभी एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है । अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन माननीय महन्त जी की पार्टी के एक नेता को चुनाव में भाषण करते हुए मैंने सुना हरियाणा में किसानों को वे बता रहे हैं कि यह जो पानी तुम्हें मिलता पाखड़ा ब्यास सेनेजमेंट से इस पानी की बिजली सरकार निगल लेती है और यह पानी बिलकुल उसी तरह तुम्हारे खेतों के लिए है जैसे दूध में से मक्खन निकाल लिया जाए । एक एक रस जागी है । इस तरह का पानी तुम्हारी खेती के लिए है । यह विवास को अवरोध करने का काम है इसकी पंखे की गति देने का काम है उसका रुख मोड़ने का काम है इस मनोवृत्ति पर भी रोक लगानी पड़ेगी । वरना ऐसा लगता है कि बाजदफा जैसे साइंटिफिक टम्पर बनाने की बात तुम्हारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे । इस प्रकार से और भी गई मिसालें हैं । मेरा गांव से सम्बन्ध है पता नहीं माननीय सदस्य महन्त जी का है या नहीं लेकिन मेरा सम्बन्ध गांव से है । उधर बैठे बहुत से सदस्यों का सम्बन्ध गांवों से है । मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज से 15-20 साल पहले जब

मैं स्कूल में पढ़ता था तब हमारे गांव में बिजली आई । तो उस गांव का जो सब से सम्पन्न परिवार था उसके मुखिया ने बिजली वालों को बुला कर कह दिया खम्बे हमारे घर से कम से कम एक फलांग की दूरी पर रहना चाहिये, घर के नजदीक नहीं रहना चाहिये । उनके मन में यह निश्चिन धारणा थी कि बिजली का कूट घर के ऊपर से यदि होकर गुजरेगा तो उनका यह ख्याल था कि हमारे आश्रय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । अब उस टम्पर को बनाने के लिए यह बनाना होगा कि यह हमारे विवास के लिए आर्थिक विवास के लिए आवश्यक है । मैं तो सिर्फ आर्थिक विवास तक ही सीमित नहीं रखना हूँ पूरी मनोवृत्ति बदल जाती है । जहाँ जहाँ बिजली का डबलमान होने लगता है संचने का तरीका बदल जाता है । आदमी तेजी से विवास की दौड़ में शामिल होना चाहता है वह बनाने के लिए आपका सहयोग भी चाहिये । कल्पना अगर वहीं है तो मैं कहूँ कि हमें गांव में गांव में चाहता हूँ कि चाहे जिस तरह से भी यह बात वहीं गई हो इंजीनियरिंग के बारे में वहीं गई हो या तकनीशियन के बारे में हो जिस तरह समाज हर वर्ग में कंस्टेंट लॉग हो सकने है उस तरह से इस में भी ऐसा लॉग आ सकते हैं लेकिन उनकी सहाय है उन्होंने सरकार को विवासित करने के लिए जो वाप किया है वह गठने साप में एक अभूतपूर्व है आनंदार काम है 13 सौ मेगावाट से 43 हजार मेगावाट पर ले आता छोटी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में कुल उत्पादन क्षमता लगभग 28 हजार मेगावाट थी जो छोटी योजना के अन्त में 43 हजार मेगावाट हो

[श्री आर्थिक मोहम्मद खान]

जाएंगे। महन्त साहब ने एक बात और पूछी थी कि :

"By the turn of the century, what will be the generation capacity?"

हमारा प्लान एक दो दिन के लिए नहीं बना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारा कार्यक्रम है कि 70 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता हो जानी चाहिये। By the turn of the century we expect that we will be having a generation capacity of 1,20,000 megawatts.

हमारी पूरी कौशिश यही है कि देश में बिजली की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को बिजली उत्पादन के जगिरे पूरा कर सकें। राज्यों में यह काम हो रहा है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने सेंट्रल सेक्टर में बिजली के वारखाने लगाकर, सुपर थर्मल पावर स्टेशन्स और अगले सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात नहीं है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम पारिषण, ट्रांसमिशन व्यवस्था पर भी विशेष बल देने जा रहे हैं इसलिए कि ऐसी भी शिकायतें मिली हैं। माननीय रेड्डी साहब नहीं है। सुपर थर्मल पावर स्टेशन्स केवल उस राज्य के लिए नहीं लगाए गये थे जिस राज्य में वे लोकेटेड हैं बल्कि उस क्षेत्र के सभी राज्यों की सुपर थर्मल पावर स्टेशन में हिस्सेदारी थी। अब हमें, केन्द्रीय सरकार को शिकायतें मिलती हैं कि जिस राज्य में वह सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है वहाँ का बिजली बॉर्ड उस बिजली को दूसरे राज्यों में नहीं जाने देता है। अभी तक जो हमने 2 हजार मेगावाट की कैपेसिटी के एनर्जी०प्ल०सी० के स्टेशन्स लगाये हैं वे पहले ही कमीशन हो चुके हैं, चल रहे हैं लेकिन हर सभी राज्यों को उनका जो हिस्सा है वह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पारिषण व्यवस्था के लिए राज्यों पर निर्भर करना पड़ता

है। अब हम अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने जा रहे हैं। इसके अलावा कई माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया और मैं सहमत हूँ कि पनबिजली की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इसलिए कि यह बिजली रिन्यूएबल सॉर्स है, इसका सॉर्स 'गर्ने', खत्म नहीं होता है, एक साफ स्रुग सॉर्स है बिजली देने का। माननीय वार साहब ने खास तौर से उस तरफ ध्यान दिलाया। मैं बता भी दूँ सलाल और उरी के बारे में। श्रीमन्त, इसमें समस्या यह है कि बिजली तो वानपरेट सिस्टम में आ गयी लेकिन पानी स्टेट सिस्टम में है। अब जब तक राज्य सरकार उसके लिए राजा नहीं होती केन्द्रीय सरकार को उसे सौंपने के लिए तब तक हम ऐसी विसी परियोजना को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। यह बात सही है कि जम्मू काश्मीर की सरकार ने कुछ दिन पहले इस बात के लिए रजामंदी जारी की कि उरी की परियोजना को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले। लेकिन उन्होंने जिस विस्म को शर्तें लगाई, उस परियोजना में इम्प्लाय गिये जाने वाले इंजीनियर्स और दूसरे काम करने वालों के बारे में, कि बड़ी हद तक जो हमें स्वीकार नहीं थी। उन्होंने जो रजामंदी जाहिर की हमें देने के लिए वह उम्र पर निर्भर करती थी कि पहले हम उनकी शर्तें मान लें। मैं समझता हूँ यह चालू वित्तीय वर्ष की बात है, पिछले साल की बात नहीं है, इसी वर्ष की बात है। हम उन्हें बताने की कौशिश कर रहे हैं कि केवल उन शर्तों को मानने में वानूनी अड़चन है जहाँ शर्तों में वानूनी या संवैधानिक अड़चनें नहीं हैं वहाँ निश्चित ही इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जिस प्रदेश में ऐसी परियोजना स्थित हो उसके हितों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाये।

यह बात हर प्रदेश के बारे में लागू होती है। उरी के सिलसिले में यह है कि उसे पहले ही सी०ई०ए० द्वारा क्लीयर किया जा चुका है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ समझौता कर सकें और जल्दी से जल्दी इस काम को अपने हाथ में ले। दूधहस्ती के बारे में यह है कि इस परियोजना की पहली यनित 1991 जनवरी में कमीशन होगी। इसका शिड्यूल बना हुआ है वहां पर इस साल के लिए 17 करोड़ रुपये का प्राविजन किया गया है और सन 84 तक 11 करोड़ 65 लाख रुपये का खर्चा पहले ही किया जा चुका है। वहां पर कार्य चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम अपने इस शिड्यूल के मुताबिक जो मैने बताया है, इस काम का वहां पूरा कर लेंगे।

श्री हुक्म देव नारायण यादव : कागज पर सब हिसाब ठीक है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : कागज पर ही नहीं है अगर आप देखेंगे चल कर तो मैदान में भी ठीक नजर आयेगा। श्रीमान, मैं अपने आपसे कहता हूं इस मंत्रालय में आने के बाद—सलाल के बारे में खास तौर से कहता हूं जैसा कार साहब ने जिक्र किया है, यह बात सही है कि सलाल में कई साल की देरी हुई लेकिन देरी इस कारण से हुई कि वहां पर इंजीनियरों ने काम शुरू होने के बाद देखा कि पहाड़ियां कच्ची हैं जियालोजिकल रीजस में उन्हें यह लगा कि अगर इसको इसी तरह बना दिया गया, तो कल को यह संकट पैदा हो सकता है। इस पूरे क्षेत्र के लिए चेनाब को फेरोशस रिवर कहा जाता है और उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए पम्प करके

उस मिट्टी को वहां से निकाला गया और उसकी जगह सीमेंट डाला गया। पूरी जियालोजी उस एरिया की बदली गई। श्रीमान, उसमें तीन साल की देरी जरूर लगी, लेकिन माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ और खास तौर से कहना चाहता हूँ कि जाइये, जाकर देखिये और जब आपको इंजीनियर तकरीबन डेढ़ से दो किलोमीटर लंबी जो पहाड़ के अंदर सुरंग खोदी है, उसके अंदर ले जायेंगे, फिर आराम से इस गद्दी पर बैठ कर आप यह नहीं कहेंगे कि कागज पर यह सब ठीक है। जिस मुश्किल और जिस मुसीबत और जिस मेहनत से हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशंस और हमारे मजदूर, जिस तरह से वहां काम कर रहे हैं, तो फिर आपको मैदान में भी सब कुछ ठीक नजर आएगा।

श्री सुशील चन्द महन्त : आप रामानन्द यादव जी की तसल्ली करवा दीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : रामानन्द जी की तसल्ली मैंने बहुत कर दी। मैंने पहले ही कह दिया कि बिजली का वितरण केन्द्रीय सरकार के आधीन नहीं है। आपने जो समस्याएं अपने प्रदेशों के बारे में बताई हैं, मैं आपकी भावनाओं से भी अवगत करवा दूंगा प्रदेश सरकारों को और आपने जो समस्याएं उठाई हैं, उनसे भी अवगत करवा दूंगा और उनसे जो जवाब आएगा, उससे आपको अवगत करा दूंगा। इसके बाद, श्रीमान्, आपसे..
(अवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J. P. GOYAL): Please lay them on the table of the House whenever you get them.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: All right, Sir.

श्री गुलाम रसूल कार : सलाल से ट्रांसमिशन लाइन के बारे में . . . (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : ट्रांसमिशन पर मैंने पहले ही कहा कि ट्रांसमिशन पर सातवीं योजना में हम खासतौर से जोर देने जा रहे हैं और अपनी पार्टी जो सेंडल प्रोजेक्ट के पावर स्टेशंस हैं, चाहे हाइडल के हों, या थर्मल के, वहां से बिजली को ले जाने के लिए अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को हम मजबूत करने जा रहे हैं।

श्री गुलाम रसूल कार : मेरे कहने का मतलब यह था कि सलाल से जो पावर जेनरेट होगी, उसमें रियाती हुकूमत का कुछ हिस्सा है, उसको ट्रांसफर करने के लिए सलाल से श्रीनगर तक ट्रांसमिशन लाइन लगनी चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं एकजैकली सही तारीख तो इस वक्त नहीं दे सकूंगा। बाद में कार सहाय को दे दूंगा, लेकिन वह पहले से मंजूरशुदा स्कीम है।

श्री हुकम देव नारायण यादव : लेकिन हमारे यहां तो बोरिंग जो है, वह बंद पड़ी हुई है, तो उसको देखियेगा कि कागज का देखियेगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमान, मैं उस विषय के बारे में कह रहा हूं जो मेरे कार्यक्षेत्र में आता है, लेकिन अगर अब दूसरे कार्यक्षेत्र के बारे में माननीय सदस्य बता रहे हैं, तो उसके बारे में मेरे पास तो जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी जानकारी भी करेंगे और उसको ठीक कराने का भी प्रयास करूंगा।

श्री सुशील चन्द्र महन्त : एक आपकी पार्टी के ही सदस्य है, उनको आपसे यकीन नहीं होता है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : आपको से मालूम ? उनको कहने दीजिए। मुझे लग रहा है कि आप अपना प्रतिनिधित्व कम कर रहे हैं, मेरी पार्टी का ज्यादा कर रहे हैं।

श्री रामानन्द यादव : अंधे को दिखाई पड़े बहरा ही। यह* आपोजीशन के लोग *इन्को* ही दिखाई पड़े रहे हैं दूसरे दिखाई नहीं पड़े रहे हैं। यह जवाब नहीं चाहते।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमान, मैं एक बात कहना चाहता हूं . . . (व्यवधान)

श्री राम नरेश कुशवाहा : रामानन्द यादव जी चार्ज लगा रहे हैं कि विपक्षी दल के लोग *यह कैसे उनको जानकारी हो गई ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J.P. GOYAL): Please do not use those words. It has been a very dignified debate. These words will be removed.

श्री आरिफ मोहम्मद खान : माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने उत्तर प्रदेश को डेकायट इन्फेस्टेड एरिया, दस्यु ग्रस्त क्षेत्र की तरफ भी आपने ध्यान दिलाया था। आपसे सहमत हूं कि अगर बिजली देहातों में पहुंचेगी, तो निश्चित ही उनकी स्थिति में सुधार आएगा। आप पहले भी इस बारे में ध्यान दिला चुके हैं। पावर डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव पर . . . (व्यवधान)

श्री हुकम देव नारायण यादव : हमारे यहां तो बोरिंग बंद पड़ा हुआ है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : पावर डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव पर रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कांफ्रेंशन ने उत्तर प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को यह कहा है कि वह उस क्षेत्र की पूरी योजना बना करके भेजे और डिटेल्ड योजना जिस तरह बन कर के आनी चाहिए, उस तरह से हमारी रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कांफ्रेंशन जो साधन दिलाती है, इसके लिए रुपया दिलवाती है, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए, उसने कहा है और उत्तर प्रदेश से स्कीम आने का हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही स्कीम आ जाएगी, वैसे ही उसको स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी, रुपया लिवाया जाएगा। (ध्वनान) नहीं हो सकता है, उसे एरिया से खत्म ही हो जाएगी। यह समस्या वैसे भी, श्रीमान्, ग्रामीण विद्युतीकरण पर हम ख़ास बल दे रहे हैं। माननीया प्रधान मंत्री जी के बीस-सूत्री कार्यक्रम का यह हिस्सा है, 7 P.M.

यह कार्यक्रम है कि 1990 के आखिर तक इस देश के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाए और 1995 तक जितना भी जो एनरजाइजेशन ग्राफ पंप मैट्स का काम है वह भी पूरा कर लिया जाए। . . . (अपययी) धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J.P. GOYAL): The question is:

"That the Bill further to amend the Electricity (Supply) Act, 1948 as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J.P. GOYAL): We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J.P. GOYAL): There is one amendment by Shri Aladi Aruna and Shri Ram Naresh Kushawaha:

"That at page 1, line 18, for the words 'five crores of rupees' the words 'ten crores of rupees' be substituted."

The question was put and the motion was negatived.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, was Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Sir, I beg to move that the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J.P. GOYAL): The House stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at four minutes past seven of the clock, till eleven of the clock, on Wednesday, the 1st August, 1984.